www.newsparivahan.com
सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
वर्ष 03, अंक 134, नई दिल्ली, बुधवार 23 जुलाई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

समस्त देशवासियों को पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ

03 नेशनल अकाली दल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर करेगा कार्यक्रम
06 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पुस्तकालयों का भविष्य
08 31 जुलाई से 1 अगस्त तक राष्ट्रपति झारखंड में, मुख्यसचिव ने ली बैठक

दिल्ली सरकार BS-4 ट्रकों को BS-6 में करेगी अपग्रेड तकनीकी हल खोजने के लिए डीपीसीसी को मिला निर्देश

संजय बाटला

दिल्ली सरकार BS-IV ट्रकों को BS-VI मानकों में बदलने के लिए नवाचार चुनौती शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य कम लागत वाले तकनीकी समाधान खोजना है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक कणों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सफल नवाचारों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रमाणन NPL द्वारा किया जाएगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में BS-4 ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के मद्देनजर दिल्ली सरकार इन वाहनों को BS-6 में बदलने के लिए एक प्रयोग करने जा रही है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को इस समस्या के तकनीकी समाधान खोजने के लिए इनोवेशन पर जोर देने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी के लिए यह एक चुनौती होगी, जिसके तहत बीएस चार मानकों वाले वाहनों से उत्सर्जन कम करने के उपाय खोजना शामिल होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इनोवेशन का उद्देश्य कम लागत, रखरखाव में आसानी और तकनीकी समाधान खोजना है। जो BS-6 वाहनों से निकलने वाले पीएम 2.5 और 10 को कम कर सकें।

इनोवेशन के लिए आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता

उन्होंने बताया कि सरकार BS-4 ट्रकों को BS-6 मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इनोवेशन के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित करेगी।

इसके तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में प्रस्तुत शोधपत्र के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे चरण में प्रस्ताव का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद तकनीक के परीक्षण के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रमाणन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) द्वारा दिया जाएगा। याद रहे कि एक नवंबर से केवल BS-6, सीएनजी या ईवी वाणिज्यिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

अधिकारियों का कहना है कि अगर वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, तो इससे संकट पैदा होगा।"

ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नई नीति लागू होने में अभी और कितना लगेगा समय?

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि यह फैसला नई नीति के मसौदे पर विचार करने के लिए लिया गया है। इस दौरान ईवी चार्जिंग सब्सिडी ई-कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। पुरानी ईवी नीति 2020 में शुरू हुई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है।

नई दिल्ली। आबकारी नीति को अगले साल 31 मार्च तक विस्तार दे देने के बाद अब दिल्ली सरकार ने वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। फिलहाल नई नीति के मसौदे पर विमर्श किया जाना है, जिसमें समय लगने की उम्मीद है।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ व्यापक परामर्श को सुगम बनाना है।

सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख प्रविधानों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा की जाएगी।

इसी तरह सुरक्षित ई-कचरा और बैटरी निपटान के लिए मजबूत प्रणालियां विकसित करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।

वर्तमान ईवी नीति को 2020 में पिछली आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था। यह नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई। तब से इस नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

TRUCK CANTER PICKUP CAR TWO WHEELER
INSURANCE SERVICES
BY
MANNU ARORA
GENERAL SECRETARY RTOWA
Direct Code Hassel Free And Cash Less Services
Very Fast Claim Process Any Time Any Where
Maximum Discount
Office:-CW 254 Sanjay Gandhi Transport Nagar Delhi-110042
Contact 9910436369, 9211563378

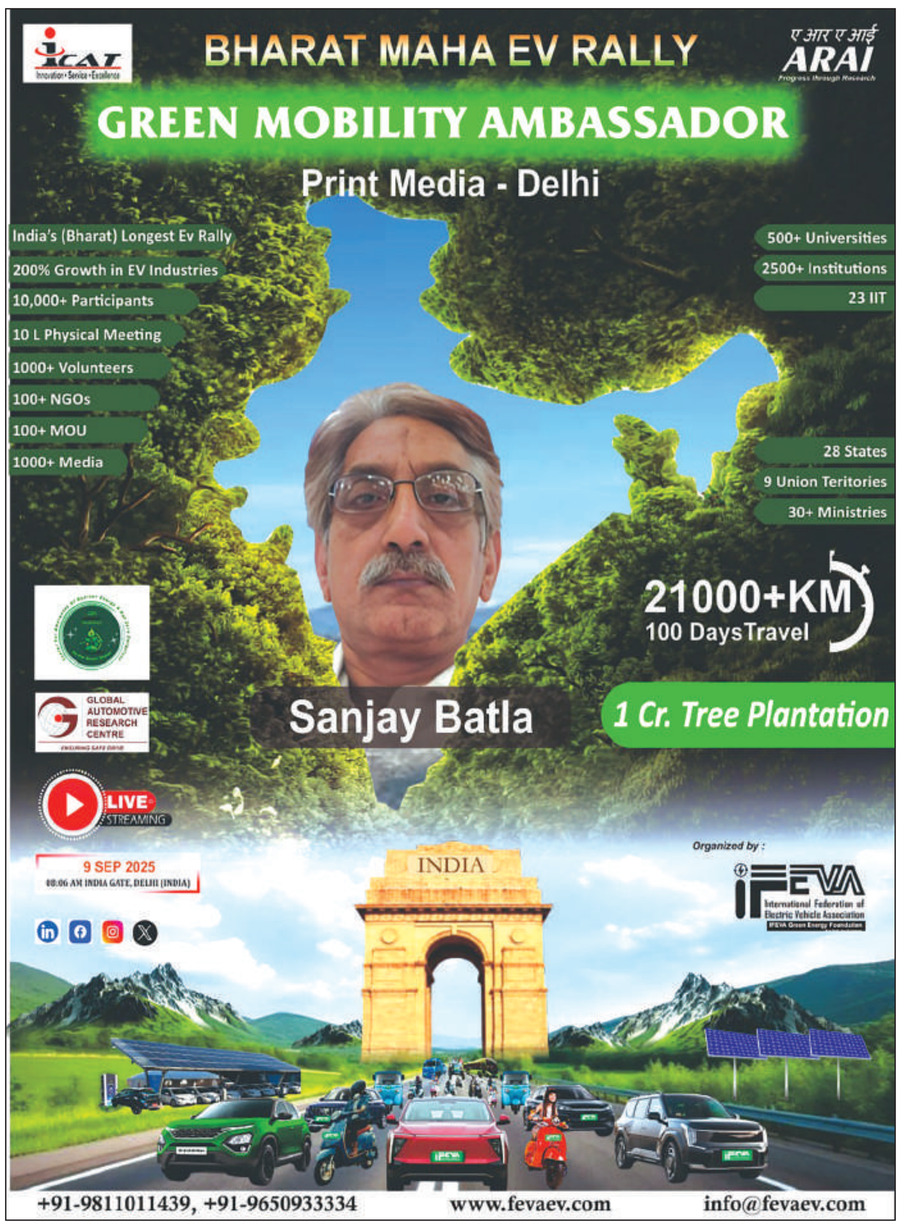

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के कॉरिडोर को लेकर आया अपडेट, टेंडर प्रक्रिया पूरी; जल्द शुरू होगा निर्माण

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर के निर्माण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को टेंडर दिया है। 8.38 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर आठ स्टेशन होंगे। साढ़े तीन वर्ष में बनने वाले इस कॉरिडोर से दक्षिणी और मध्य दिल्ली के बीच आवागमन सुगम होगा। इसमें तीन कोच की मेट्रो चलेगी और तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने फेज चार के लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीएमआरसी ने हाल ही में इस कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपी है। इससे इस कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। अब जल्दी ही इस कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा, जो साढ़े तीन वर्ष में बनकर तैयार होगा।

इससे दक्षिणी दिल्ली और मध्य दिल्ली के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 8.38 किलोमीटर होगा और यह कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इस कॉरिडोर पर आठ मेट्रो स्टेशन होंगे। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च 2024 को इस कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति दी थी।

इसके बाद डीएमआरसी ने इस वर्ष जनवरी की शुरुआत में 456.06 करोड़ रुपये की लागत से इस कॉरिडोर के 7.298 किलोमीटर हिस्से के एलिवेटेड वायाडक्ट और सात मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफार्म के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। इसी क्रम में अब डीएमआरसी ने रेल विकास निगम को 447.4 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर आवंटित किया है।

डीएमआरसी का कहना है कि कांट्रेक्ट एजेंसी परियोजना स्थल पर इस मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण लिए जल्द ही संसाधन जुटाना शुरू कर देगी। निर्माण कार्य के लिए संसाधन जुटाने में डेढ़ से दो माह समय लगता है। उम्मीद है कि डेढ़ से दो माह में इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह कॉरिडोर वायलेट लाइन के वर्तमान लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन को फेज चार में ही निर्माणाधीन गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) के साकेत जी ब्लाक स्टेशन को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा।

इस कॉरिडोर पर तीन कोच की मेट्रो चलेगी। इससे इस कॉरिडोर के प्लेटफार्म की लंबाई 74 मीटर होगी, जो अन्य मेट्रो लाइन के प्लेटफार्म की तुलना में कम है। इस कारिडोर के मेट्रो ट्रेन के एक कोच में करीब 300 यात्री सफर कर सकेंगे। इसलिए इस कॉरिडोर की एक मेट्रो ट्रेन में एक बार में करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे।

कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन

साकेज जी ब्लाक, पुष्प विहार, साकेत जिला अदालत, पुष्पा भवन, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश वन, एंड्रयूज गंज और लाजपत नगर।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

अगर सतर्क होते तो ऐसे हालात नहीं बनते... तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को लगाई फटकार

तीस हजारी कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम पर नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को फटकार लगाई। न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली लापरवाह है और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई अपर्याप्त है। कोर्ट ने निगम की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और 25 अगस्त 2025 तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम को लेकर तीस हजारी जिला अदालत के सिविल न्यायाधीश ने नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।

अदालत ने प्रशासन की कार्यशैली को अपर्याप्त और लापरवाह करार देते हुए कहा कि यदि अधिकारी सतर्क और सक्रिय होते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

सिविल न्यायाधीश रिंकू जैन ने कहा कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर वह पर्याप्त नहीं है। जब नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि आपने कितने चालान काटे, कितने लोगों पर कार्रवाई की। न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर के रास्तों की अपनी व्यक्तिगत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हर दिन दो बार तीस हजारी से गुजरता हूं।

अब मोबाइल वेंडर कम और स्थायी वेंडर ज्यादा हैं। लोग बीच सड़क पर गाड़ी रोककर सामान खरीदते हैं, जिससे जाम लगता है। अदालत ने निगम की रिपोर्ट को पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं बताते हुए खारिज कर दिया।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि लाइसेंस प्राप्त वेंडर ने कितनी जगह कब्जा कर रखी है और क्या यह अनुमति से अधिक है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग दो जून 2025 के आदेश के अनुसार नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

कोर्ट ने अधिकारियों से साफ कहा कि आप कोर्ट के निर्देश का इंतजार करके आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकते। आप पर कार्रवाई की जिम्मेदारी पहले से है।

अदालत ने सभी एजेंसियों को 25 अगस्त 2025 तक विस्तृत और स्पष्ट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता के वकील देवेंद्र धीरयान ने याचिका दायर कर एक किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण, ट्रैफिक अव्यवस्था और अनियंत्रित गतिविधियों को हटाने की मांग की थी।

अब तक की कार्रवाई

कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक केएल कुलदीप द्वारा पहले प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2024 में आसपास के क्षेत्रों में 20 भारी वाहनों को जब्त किया गया और उन पर 30 चालान किए गए।

इसमें यह भी कहा गया था कि अनुचित पार्किंग के लिए 1963 चालान और परमिट उल्लंघन के लिए 1700 चालान किए गए थे।

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2024 में पुलिस थाने द्वारा 830 वाहन जब्त किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (आइपीसी) की धारा 285 (सार्वजनिक मार्ग या आवागमन में बाधा या खतरा) के तहत पिछले वर्ष पुलिस थानों में 852 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

निगम और कश्मीरी गेट थाने के प्रभारी के साथ, दिल्ली के सिविल लाइंस सर्कल के यातायात निरीक्षक ने भी मार्च में अदालत में एक और स्थिति रिपोर्ट पेश की थी।

इस रिपोर्ट में बताया गया था कि तीस हजारी कोर्ट परिसर के आसपास वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए दो शिफ्टों में 31 यातायात कर्मियों को तैनात किया गया था।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस वर्ष एक जनवरी से 24 मार्च तक 5,946 चालान किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुचित पार्किंग के लिए 995 चालान किए गए। इसके अलावा, नो एंट्री उल्लंघन के लिए 1,005 चालान किए गए और 154 वाहन जब्त किए गए।

सावन मासिक शिवरात्रि आज

सनातन धर्म में सावन शिवरात्रि का खास महत्व है। यह पर्व पूर्णतया देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और जगत की देवी मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। सावन शिवरात्रि के दिन भक्तजन देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करते हैं।

सावन

============

सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि और त्रयोदशी तिथि पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही शिवजी की कृपा साधक पर बरसती है।

सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त

======================

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 04 बजकर 39 मिनट पर प्रारंभ होगा। 24 जुलाई को देर रात 02 बजकर 28 मिनट पर सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। पूजा का समय 23 जुलाई को निशा काल में 12 बजकर 07 मिनट से लेकर 12 बजकर 48 मिनट तक है।

पूजा समय

===============

प्रदोष काल में पूजा समय शाम 07 बजकर 17 मिनट से रात 09 बजकर 53 मिनट तक है।

दूसरे प्रहर में पूजा समय रात 09 बजकर 53 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 28 मिनट तक है।

तीसरे प्रहर में पूजा समय रात 12 बजकर 28 मिनट से देर रात 03 बजकर 03 मिनट तक है।

सावन शिवरात्रि कब है?

=====================

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई के दिन है। चतुर्दशी तिथि पर निशा काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 23 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि मनाई जाएगी। भक्तजन 23 जुलाई के दिन व्रत रख महादेव की पूजा एवं भक्ति कर सकते हैं। वहीं, व्रत का पारण 24 जुलाई के दिन कर सकते हैं।

हर्षण योग

===========

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर दुर्लभ हर्षण और भद्रावास का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का निर्माण दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से होगा। भद्रावास योग दोपहर 03 बजकर 31 मिनट तक है। इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेंगी। इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से साधक को दोगुना फल मिलेगा।

कैसे करें शिवरात्रि की पूजा

=========================

शिवरात्रि के पावन पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान-ध्यान करें। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान को कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल आदि से अभिषेक करें। इसके बाद जटाजूटधारी भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, आदि चढ़ाकर चंदन का लेप करें। पूजा के अंत में आरती और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष की माला से शिव के पंचाक्षरी मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें।

श्रावण मास शिवरात्रि विशेष -

पवित्र सावन माह : आस्था, भक्ति, सेवा और सामाजिक सौहार्द्र का प्रतीक – राष्ट्रवादी चिंतक एवं वरिष्ठ समाजसेवी मुशर्रफ ख़ान का प्रेरणादायक संदेश

इस पावन महीने में हम सभी को मिलकर समाज में प्रेम, शांति, सेवा, सहयोग, एकता, भाईचारे और समर्पण का वातावरण बनाना चाहिए₹ -- राष्ट्रवादी चिंतक मुशर्रफ ख़ान

"आइए, इस सावन हम सब मिलकर एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, शिवभक्ति में सहभागी बनें और समाज में सहयोग, सेवा और सद्भाव का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए।"

आगरा, संजय साग़र सिंह। पवित्र पावन श्रावण मास शिवरात्रि पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रवादी चिंतक मुशर्रफ ख़ान साहब ने इसे केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि मानवीय सेवा, सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द्र का पर्व बताते हुए भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सावन न केवल भगवान शिव की भक्ति का अवसर है, बल्कि यह समाज में प्रेम, सहयोग, समानता और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का समय भी है।

राष्ट्रवादी चिंतक मुशर्रफ ख़ान ने कहा, "सावन माह आस्था, भक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति, समृद्धि, प्रेम, सहयोग, सामाजिक सौहार्द्र और आपसी एकता का प्रतीक है। यह महीना हमें न केवल उपासना का मार्ग दिखाता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की भावना भी जगाता है।"

पावन पवित्र सावन–एकता और भक्ति का अद्भुत संगम

उन्होंने कहा कि सावन के पावन महीने में शिवभक्त 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और शिवधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है, बल्कि यह समाज में भाईचारे और एकता का संदेश भी देता है। ₹यह महीना आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और सेवा की भावना का उत्सव है।

कांवड़ यात्राः श्रद्धा, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का संगम

कांवड़ यात्रा पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए मुशर्रफ ख़ान ने कहा, "यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और अनुशासन की जीवंत मिसाल है। लाखों शिवभक्त कठिन यात्रा कर गंगाजल लाते हैं, यह श्रद्धा और समर्पण का अप्रतिम उदाहरण है।"

राष्ट्रवादी चिंतक मुशर्रफ ख़ान ने प्रशासन और आम जनता से अपील की कि कांवड़ यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना केवल सरकार की नहीं, हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था पर बल दिया।

शिवभक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव

श्री ख़ान ने कहा, "शिवभक्तों की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा के समान है। यह सेवा भावना ही हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति है।" उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कांवड़ मार्गों पर जल, भोजन, दवा और विश्राम जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं।

सामाजिक सौहार्द्र और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश

उन्होंने सावन के महत्व को सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि ₹इस पावन महीने में हम सभी को मिलकर समाज में शांति, भाईचारे और समर्पण का वातावरण बनाना चाहिए। साथ ही, यह अवसर है प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का।₹

अंत में एक सामूहिक आह्वान

अंत में वरिष्ठ समाजसेवी मुशर्रफ ख़ान ने सभी नागरिकों से अपील की, "आइए, इस सावन हम सब मिलकर एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, शिवभक्ति में सहभागी बनें और समाज में सहयोग, सेवा और सद्भाव का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए।"

फ़्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की। जिसमें उन्हें पता चला की हवन मुख्यत:

आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फ़ॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है। जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है।

तथा वातावरण को शुद्द करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है।

टौटीक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गयी अपनी रिसर्च में ये पाया की यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाये अथवा हवन के धुएं से शरीर का सम्पर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फ़ैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है।

हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसन्धान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्द होता है और जीवाणु नाश होता है? अथवा नही?

उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी १ किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए।

पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डाल कर जलायी गयी तो एक घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर ९४% कम हो गया। यही नहीं उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजुद जीवाणुओ का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाज़े खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के २४ घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से ९६ प्रतिशत कम था।

बार-बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर एक माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था।

यह रिपोर्ट एथ्नोफार्माकोलोजी के शोध पत्र (resarch journal of Ethnopharmacology 2007) में भी दिसंबर २००७ में छप चुकी है।

रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है। जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है।

बैंगलोर स्थित नारायण हृदयालय की निदेशक और दुनिया के अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक, डॉ. देवी शेट्टी का संदेश..

'मेरे दोस्तों...

पिछले कुछ सालों में, मैंने 8-10 ऐसे लोगों को खोया है जो मेरे निजी तौर पर बहुत करीबी थे.. खासकर कुछ मशहूर हस्तियां जो लगभग 40 साल की थीं, 'फिट' रहने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद चल बसीं.. लेकिन वे सभी फिट दिखते थे और उनके सिक्स पैक्स थे....

'संयम' जीवन में हर चीज का मंत्र है..

चाहे आप शून्य या सौ के लिए कितना भी प्रयास करें, यह गलत है।

इक्कीस मिनट तक मध्यम व्यायाम करें, सब कुछ खाएं,

ज़्यादा डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है..

कीवी फल.. जैतून का तेल.. ये सब नहीं.. जो भी आपके पूर्वज खाते थे, स्थानीय, मौसमी और आपके गाँव में उपलब्ध, उसे संयम से खाएं..

पूरे सात घंटे। स्टेरॉयड या प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के बिना अपने शरीर का सम्मान करें।

जो आप बचपन से खाते आए हैं, उसे संयम से खाएं।

20 से रोज़ाना 30 मिनट, अच्छी सैर... बस इतना ही काफी है...

सभी तरह के एनर्जी ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दें...

अगर आपको शराब पीने की आदत है, तो इसे हफ़्ते में कुछ पैग तक ही सीमित रखें...

अगर आप धूम्रपान नहीं छोड़ सकते, तो इसे दिन में केवल एक या दो बार तक ही सीमित रखें।

आपको मेरी बात का सार समझना चाहिए... सब कुछ होने दें... संयम में रहें...

अपनी दिनचर्या में थोड़ा मौन ध्यान शामिल करें।

सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर की सुनें... उसे समझें...

गुर्दे की बीमारी के मुख्य 5 कारण ये हैं:

1. शौचालय जाने में देरी करना। अपने मूत्र को मूत्राशय में बहुत देर तक रखना एक बुरी बात है। भरा हुआ मूत्राशय मूत्राशय को नुकसान पहुँचा सकता है। मूत्राशय में रहने वाला मूत्र बैक्टीरिया को तेज़ी से बढ़ाता है।

2. बहुत ज़्यादा नमक खाना। आपको प्रतिदिन 5.8 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए।

3. बहुत ज़्यादा मांस खाना। आपके आहार में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपके गुर्दे के लिए हानिकारक है। प्रोटीन के पाचन से अमोनिया बनता है - जो आपके गुर्दे के लिए बहुत बुरा। ज़्यादा मांस खाने का मतलब है गुर्दे को ज़्यादा नुकसान।

4. बहुत ज़्यादा कैफीन पीना। कैफीन कई सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। यह आपके रक्तचाप को बढ़ाता है और आपके गुर्दे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए आपको रोज़ाना कोक पीने की मात्रा कम कर देनी चाहिए।

5. पर्याप्त पानी न पीना। हमारे गुर्दे को अपना काम ठीक से करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो रक्त में विषाक्त पदार्थ जमा होने लग सकते हैं क्योंकि गुर्दे से होकर पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं निकल पाता। रोज़ाना 10 गिलास से ज़्यादा पानी पिएँ। यह जाँचने का एक आसान तरीका है कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं: अपने पेशाब के रंग को देखें; रंग जितना हल्का होगा, उतना ही अच्छा होगा।

(3) इन गोलियों से बचें, ये बहुत खतरनाक हैं:

* डी-कोल्ड
* विक्स एक्शन-500
* एक्टिफेड
* कोल्डारिन
* कासोम
* नाइस
* निमुलिड
* सेट्रिजेट-डी

इनमें फिनाइल प्रोपेनॉल-एमाइड होता है, पीपीए

जो स्ट्रोक का कारण बनता है और अमेरिका में प्रतिबंधित है।

कृपया, डिलीट करने से पहले, इसे अपने दोस्तों को भेजकर उनकी मदद करें..! इससे किसी की मदद हो सकती है।

जितना हो सके फॉरवर्ड करें।

व्हाट्सएप मुफ़्त है,... कृपया फॉरवर्ड करें..इसे पढ़ें और फॉरवर्ड करें।

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव:

1. फ़ोन कॉल का जवाब बाएँ कान से दें।
2. अपनी दवा ठंडे पानी के साथ न लें...
3. शाम 5 बजे के बाद ज़्यादा भोजन न करें।
4. सुबह ज़्यादा पानी पिएँ, रात में कम।
5. सोने का सबसे अच्छा समय रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक है।
6. दवा लेने या खाने के तुरंत बाद न सोएँ।
7. जब फ़ोन की बैटरी आखिरी सीमा तक कम हो जाए, तो फ़ोन का जवाब न दें, क्योंकि रेडिएशन 1000 गुना ज़्यादा तेज़ होता है।

नोट:

इस संदेश को सेव न करें, इसे अभी अपने अन्य ग्रुप्स में भेजें।

यह आपके और दूसरों के भले के लिए है, किसी को राहत पहुँचाना हमेशा फायदेमंद होता है।

विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तन्त्र (ऋषि मुनियों द्वारा किया गया अनुसंधान)

- काष्ठा = सैकन्ड का 34000 वाँ भाग
- 1 त्रुटि = सैकन्ड का 300 वाँ भाग
- 2 त्रुटि = 1 लव,
- 1 लव = 1 क्षण
- 30 क्षण = 1 विपल,
- 60 विपल = 1 पल
- 60 पल = 1 घड़ी (24 मिनट),
- 2.5 घड़ी = 1 होरा (घन्टा)
- 3 होरा=1प्रहर व 8 प्रहर 1 दिवस (वार)
- 24 होरा = 1 दिवस (दिन या वार),
- 7 दिवस = 1 सप्ताह
- 4 सप्ताह = 1 माह,
- 2 माह = 1 ऋतू
- 6 ऋतू = 1 वर्ष,
- 100 वर्ष = 1 शताब्दी
- 10 शताब्दी = 1 सहस्राब्दी,
- 432 सहस्राब्दी = 1 युग
- 2 युग = 1 द्वापर युग,
- 3 युग = 1 त्रैता युग,
- 4 युग = सतयुग
- सतयुग + त्रेतायुग + द्वापरयुग + कलियुग = 1 महायुग
- 72 महायुग = मनवन्तर,
- 1000 महायुग = 1 कल्प
- 1 नित्य प्रलय = 1 महायुग (धरती पर जीवन अन्त और फिर आरम्भ)
- 1 नैमितिका प्रलय = 1 कल्प ।(देवों का अन्त और जन्म)
- महालय = 730 कल्प ।(ब्राह्मा का अन्त और जन्म)

सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तन्त्र यहीं है जो हमारे देश भारत में बना हुआ है। ये हमारा भारत जिस पर हमे गर्व होना चाहिये1

दो लिंग : नर और नारी।

दो पक्ष : शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।

दो पूजा : वैदिकी और तांत्रिकी (पुराणोक्त)।

दो अयन : उत्तरायन और दक्षिणायन।

तीन देव : ब्रह्मा, विष्णु, शंकर।

तीन देवियाँ : महा सरस्वती, महा लक्ष्मी, महा गौरी।

तीन लोक : पृथ्वी, आकाश, पाताल।

तीन गुण : सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।

तीन स्थिति : ठोस, द्रव, वायु।

तीन स्तर : प्रारंभ, मध्य, अंत।

तीन पड़ाव : बचपन, जवानी, बुढ़ापा।

तीन रचनाएँ : देव, दानव, मानव।

तीन अवस्था : जागृत, मृत, बेहोशी।

तीन काल : भूत, भविष्य, वर्तमान।

तीन नाड़ी : इडा, पिंगला, सुषुम्ना।

तीन संध्या : प्रातः, मध्याह्न, सायं।

तीन शक्ति : इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति।

चार धाम : बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम्, द्वारका।

चार मुनि : सनत, सनातन, सनंद, सनत कुमार।

चार वर्ण : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।

चार निति : साम, दाम, दंड, भेद।

चार वेद : सामवेद, ॠग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।

चार स्त्री : माता, पत्नी, बहन, पुत्री।

चार युग : सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग।

चार समय : सुबह, शाम, दिन, रात।

चार अप्सरा : उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा।

चार गुरु : माता, पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु।

चार प्राणी : जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर।

चार जीव : अण्डज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज।

चार वाणी : ओम्कार्, अकार्, उकार, मकार्।

चार आश्रम : ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास।

चार भोज्य : खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य।

चार पुरुषार्थ : धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।

चार वाद्य : तत, सुषिर, अवनद्ध, घन।

पाँच तत्व : पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु।

पाँच देवता : गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, सुर्य।

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ : आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा।

पाँच कर्म : रस, रुप, गंध, स्पर्श, ध्वनि।

पाँच उंगलियां : अँगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा।

पाँच पूजा उपचार : गंध, पुष्प, धुप, दीप, नैवेद्य।

पाँच अमृत : दूध, दही, घी, शहद, शक्कर।

पाँच प्रेत : भूत, पिशाच, वैताल, कुष्मांड, ब्रह्मराक्षस।

पाँच स्वाद : मीठा, चर्खा, खट्टा, खारा, कड़वा।

पाँच वायु : प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान।

पाँच इन्द्रियाँ : आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन।

पाँच वटवृक्ष : सिद्धवट (उज्जैन), अक्षयवट (Prayagraj), बोधिवट (बोधगया), वंशीवट (वृंदावन), साक्षीवट (गया)।

पाँच पत्ते : आम, पीपल, बरगद, गुलर, अशोक।

पाँच कन्या : अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी।

छः ॠतु : शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, शिशिर।

छः ज्ञान के अंग : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष।

छः कर्म : देवपूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान।

छः दोष : काम, क्रोध, मद (घमंड), लोभ (लालच), मोह, आलस्य।

सात छंद : गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती।

सात स्वर : सा, रे, ग, म, प, ध, नि।

सात सुर : षडज, ॠषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद।

सात चक्र : सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मुलाधार।

सात वार : रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि।

सात मिट्टी : गौशाला, घुड़साल, हाथीसाल, राजद्वार, बाम्बी की मिट्टी, नदी संगम, तालाब।

सात महाद्वीप : जम्बुद्वीप (एशिया), प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव की घोषणा, एनडीटीएफ ने घोषित किए अपने उम्मीदवार; जानें शेड्यूल

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव 4 सितंबर को होंगे। डूटा ने चुनाव की घोषणा की जिसमें स्थायीकरण और पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। नामांकन 25-26 अगस्त को होंगे। एनडीटीएफ ने अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर वीएस नेगी और कार्यकारिणी के लिए अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की है। मतदान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है।

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के आगामी चुनाव इस बार सिर्फ संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं रहेंगे।

बल्कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों, स्थायीकरण, नियुक्तियों में पारदर्शिता, अकादमिक स्वतंत्रता और शोध के माहौल को मजबूत करने की दिशा को भी तय करेंगे।

डूटा ने सोमवार को चुनाव की आधिकारिक घोषणा की। चार सितंबर को मतदान होगा। चुनाव अधिकारी एम. थिरूमल ने बताया कि सदस्यता की अंतिम तिथि 12 अगस्त है और मतदाता सूची 19 अगस्त को आएगी।

आर्ट्स फैकल्टी और सत्यकाम भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी।

इस चुनाव में अध्यक्ष पद के साथ 15 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 25-26 अगस्त को चलेगी। प्रत्याशियों की सूची 27 अगस्त को जाएगी।

मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। डूटा चुनावों की निगरानी चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी और पारदर्शिता के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नामांकन फार्म संगठन की वेबसाइट duta.live से डाउनलोड किए जा सकेंगे और भरे हुए फार्म सीलबंद बाक्स में जमा करने होंगे।

एनडीटीएफ ने डूटा चुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार

मंगलवार को किरोड़ीमल कॉलेज के सभागार में डूटा चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।

संगठन के एग्जिक्यूटिव, जोनल और विभिन्न कॉलेजों के यूनिट मेम्बर्स के सामने डूटा में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार व कार्यकारिणी के लिए छह सदस्यों के नामों की घोषणा की गई।

डूटा व एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अध्यक्ष के लिए प्रोफेसर वीएस नेगी को उम्मीदवार बनाया है। प्रो. नेगी शहीद भगतसिंह कॉलेज (सांध्य) में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं।

इसके अलावा डूटा में एग्जीक्यूटिव पदों के लिए डॉ. आकांक्षा खुराना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, दिल्ली कॉलेज आफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, डॉ. अमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्याम लाल कॉलेज (सांध्य) डॉ. देवेन्द्र कुमार राणा को उम्मीदवार बनाया गया।

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय के डॉ. महिपाल संखला ने पिस्ता के कचरे से बनाया 'काला सोना', जल से जहरीला लेड हटाने की अनोखी तकनीक विकसित

अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध, जल शुद्धिकरण की दिशा में मील का पत्थर

कहते हैं कि ₹कचरा किसी के लिए व्यर्थ हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच उसे उपयोगी बना देती है।₹ कुछ ऐसा ही कर दिखाया है डॉ. महिपाल सिंह संखला ने उन्होंने पिस्ता के छिलकों, जिसे आमतौर पर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उससे बायोचार (Biochar) बनाकर जल में मौजूद जहरीले लेड (Pb^{2+}) को हटाने की प्रभावी तकनीक विकसित की है। यह शोध प्रतिष्ठित ₹ जर्नल ऑफ मॉलेक्यूलर स्ट्रक्चर₹ में प्रकाशित हुआ है और वैज्ञानिक समुदाय में इसकी सराहना की जा रही है। लेड (Pb^{2+}) एक अत्यंत विषैला भारी धातु है, जिसका उपयोग लंबे समय से बैटरियों, रंगों, औद्योगिक अपशिष्ट, और रसायन निर्माण में होता आ रहा है। यह धातु जब जल स्रोतों में मिलती है, तो उसे पूरी तरह से हटाना या जैविक रूप से विघटित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि प्रदूषित जल में लेड की मात्रा अधिक हो जाए, तो यह कैंसर, मस्तिष्क की क्षति, गुर्दे की बीमारी और बच्चों में मानसिक विकास रुकने जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।

कैसे किया गया शोध?

डॉ. संखला ने अपनी टीम के साथ मिलकर पिस्ता के छिलकों को मफल फर्नेस में तीन तापमानों — 200°C, 400°C और 600°C — पर जलाकर बायोचार तैयार किया। इस बायोचार का विश्लेषण SEM-EDS, FTIR, XRD और UV–Vis Spectroscopy जैसी अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा किया गया।

शोध में यह पाया गया कि 600°C पर तैयार बायोचार में अधिक क्रिस्टलिनिटी और झरझरी संरचना (Porosity) विकसित हुई, जिससे इसकी लेड अवशोषण क्षमता 80.98% तक पहुँच गई। यह प्रक्रिया Temkin और Hills adsorption isotherm तथा प्रथम एवं द्वितीय क्रम की रासायनिक गतिज (kinetics) मॉडल का पालन करती है, जो इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करता है।

कचरा बना 'काला सोना'

जिस पिस्ता के छिलके को लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी से डॉ. संखला ने 'काला सोना' यानी बायोचार बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि कृषि एवं जैव अपशिष्ट से भी पर्यावरणीय संकटों का समाधान निकाला जा सकता है। यह शोध सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) की दिशा में एक उपयोगी कदम माना जा रहा है।

डॉ. महिपाल सिंह संखला वर्तमान में के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम के फॉरेंसिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे पिछले कई वर्षों से पर्यावरण विषविज्ञान, जल प्रदूषण, नैनोप्रौद्योगिकी और सतत विकास पर केंद्रित अनुसंधान कर रहे हैं। उनके नाम पर कई शोध पत्र, पुस्तक अध्याय, संकलित पुस्तकें और पेटेंट दर्ज हैं।

इस शोध में डॉ. संखला के साथ छात्रा लक्ष्मी सहित कई युवा शोधकर्ताओं ने सहयोग किया। टीम ने यह सिद्ध किया कि स्थानीय एवं सस्ते जैविक संसाधनों से उच्च गुणवत्ता वाला शोधन पदार्थ (adsorbent) तैयार किया जा सकता है, जो आमजन के लिए किफायती और प्रभावी हो। इस सफलता पर डॉ. संखला ने कहा: "हमारी कोशिश रही है कि हम स्थानीय और जैविक अपशिष्टों का उपयोग कर ऐसे नवाचार करें जो सस्ते हों, पर्यावरण के अनुकूल हों और आम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हों। यह शोध उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है।"

विनोद सहरावत ने नरेला एस एच ओ को केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा यूरिया खाद पर मिल रही सब्सिडी को

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नईदिल्ली, : दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और निगम पार्षद विनोद सहरावत ने आज केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा यूरिया खाद पर मिल रही सब्सिडी को, यूरिया खाद मफिओं द्वरा 27 वर्षो से ब्लैकमार्केटिंग करके दिल्ली के किसानो का हक़ खाने वालो को गिरफ्तार करके उनके ऊपर सख्त करवाई करने को लेकर एस एच ओ नरेला को एक ज्ञापन दिया।इस मौके पर संदीप कौशिक, पवन मोनी और रघुवीर खत्री साथ रहे।

विनोद सहरावत ने अपने ज्ञापन में कहा कि लगातार खाद वितरण अनियमितता व खाद में मिलावट लगातार किया जा रहा है। और सरकारी कट्टो से दूसरे कट्टो में यूरिया खाद पलट दिया जाता था। किसानो ने इसके बारे में कई बार शिकायत की और हमने भी इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से अवगत कराया।

सहरावत ने ज्ञापन में लिखा कि यह यूरिया खाद बड़े कमिशन पर फैक्ट्री मालिक को बेच दिया जाता है जो कि नकली पनीर व दूध बनाने में उपयोग करते है जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इसलिए इस विषय पर अरोपियो पर जल्द व सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

ज्ञापन में जिन डीलरों को वह सप्लाई कर रहे हैं उनके नाम की डिटेल भी दी गई।

फर्म का नाम FMSID स्थान, ग्रोवर ट्रेंडिंग कम्पनी 110017आजादपुर, (दीपक ग्रोवर), महालक्ष्मी ट्रेंडिंग कम्पनी 110023 हिरणकी कुशल (दीपक ग्रोवर), दिव्य खाद बीज भण्डार1444591 लामपुर, विनोद खाद बीज भण्डार 150361 स्वतंत्र नगर, राम खाद एण्ड बीज भण्डार 1557185 औचन्दी, चैरी खाद बीज भण्डार 1557183 स्वतंत्र नगर, ग्रोवर ट्रेंडिंग कम्पनी 1333501पंजाब खोड (दीपक ग्रोवर), जगदीश खाद भण्डार 110011 पंजाब खोड, सचदेवा ट्रेंडिंग कम्पनी 597911 पंजाब खोड और राम खाद एण्ड बीज भण्डार1258236 पंजाब खोड।

विनोद सहरावत ने कहा है कि DAP पर सरकार की 4850 रु की खरीद पड़ती है सरकार द्वारा 3500 रु की सब्सिडी देने पर किसान को 1350 रु का कट्टा पड़ता है।ऐसे ही की यूरिया पर सरकार की 1900 रु की खरीद पड़ती है सरकार द्वारा 1635 रु की सब्सिडी देने पर किसान को 266 रु का कट्टा पड़ता है। ये भ्रष्ट दुकानदार फैक्ट्री मालिको को 650 से 700 रु का ब्लैक मार्केटिंग में बेचते है। उन्होंने कहा कि सभी कम्पनियो की जाँच करके एवं मैसर्स ग्रोवर ट्रेंडिंग की सेल पाकर उसकी मिलान करवाया जाए एवं इन स्थानों पर खाद की सेल है भी या नही इसकी भी जाँच करवाई जाए व इस होलसेलर का लाइसेंस कैंसिल करके सहकारी संस्था या सरकार द्वारा वितरण करवाई जाए जिससे किसान आने वाले समय में खाद की समस्या का सामना ना करना पड़े।

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय बरी हुए लोगों को मुआवज़ा देने और असली दोषियों को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए: जमाअत उपाध्यक्ष

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, :जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने मुंबई ट्रेन विस्फोट (11-7-2006) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के फैसले की निंदा की है। उच्च न्यायालय द्वारा 21 जुलाई 2025 को दिए गए फैसले ने 2015 के दोषसिद्धि को पलट दिया। हालिया फैसले में जांच संबंधी गंभीर चूक और निर्णायक साक्ष्यों की कमी को उजागर किया गया है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं।

मीडिया को जारी एक बयान में, जमाअत उपाध्यक्ष ने कहा, ₹हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें उन 12 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है जिन्हें लगभग दो दशकों तक अन्यायपूर्ण ढंग से कारावास में रखा गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफलता तथा दबाव में प्राप्त किए गए बयानों सहित साक्ष्यों की अविश्वसनीयता के बारे में अदालत की तीखी टिप्पणियां हमारी जांच प्रक्रियाओं में प्रणालीगत खामियों को उजागर करती हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) बुनियादी विवरण भी स्थापित करने में विफल रहा जैसे कि इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार तथा संदिग्ध गवाहों के बयानों और गलत तरीके से संभाले गए साक्ष्यों पर भरोसा किया। यह सिर्फ एटीएस की विफलता नहीं है, बल्कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की सामूहिक विफलता है, जिसके कारण अभियुक्तों और उनके परिवारों को भारी कष्ट उठाना पड़ा है।₹

मोतसिम खान ने बरी किए गए लोगों के साथ हुए घोर अन्याय पर जोर देते हुए कहा, ₹इन व्यक्तियों को, जिन्होंने 19 वर्ष जेल में बिताए, उन्हें उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। उनके परिवारों को कलंकित किया गया है, तथा उनके जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई गई है।इन गंभीर गलतियों को स्वीकार करने और बरी हुए लोगों को उनके कष्ट के लिए मुआवजा देने के बजाय, महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रही है। यह कदम अदालत के निष्कर्षों की अवहेलना करता है और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाता है: 7/11 विस्फोट जिसमें 11 जुलाई 2006 को 11 मिनट के अंतराल में 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे, के वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में सरकार की विफलता, ।₹

उन्होंने सरकार से विस्फोटों के पीड़ितों के लिए न्याय को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, ₹7/11 के हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों को समाधान मिलना चाहिए, जो 19 साल बाद भी नहीं मिल पाया है। उच्च न्यायालय के 671 पृष्ठों के फैसले से अभियोजन पक्ष की दोष सिद्ध करने में असमर्थता उजागर होती है, जिससे यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि इस जघन्य अपराध को किसने अंजाम दिया। एक सुविचारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने में संसाधन बर्बाद करने के बजाय, महाराष्ट्र सरकार को वास्तविक दोषियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए गहन पुनर्जांच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तविक अपराधियों को दंडित करना कानून के शासन को बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

जमाअत उपाध्यक्ष ने व्यवस्थागत सुधारों का आह्वान करते हुए कहा, ₹19 साल बाद बरी होना आतंकवाद मामलों की जाँच में विफलताओं के इतिहास को उजागर करता है। हमें न्याय की और अधिक विफलताओं को रोकने के लिए सामूहिक रूप से इन कमियों को दूर करना होगा। सरकार को बरी किए गए लोगों को मुआवज़ा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच में ऐसी चूक दोबारा न हो।

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है और यमुना के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

नईदिल्ली: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने का संभावना है।

इसे लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अन्य संबंधित विभाग सतर्क हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी दिल्ली में यमुना का जल स्तर सामान्य है।

हिमाचल प्रदेश में हो रही वर्षा से यमुना में अधिक पानी आ रहा है। इस कारण हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पहले की तुलना में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है।

सोमवार रात नौ बजे 52 हजार और रात 10 बजे 53 हजार क्यूसेक से अधिक और मध्य रात्रि लगभग एक बजे 54707 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है।

इस मानसून में पहली बार हथनी कुंड बैराज से 50 हजार क्यूसेक से अधिक पानी यमुना में छोड़ा गया है। मंगलवार सुबह से इसमें कमी आने लगी है। शाम सात बजे हथनी कुंड से 14348 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और दिल्ली में लोहापुल पर यमुना का जलस्तर 22.24 मीटर था।

अधिकारियों का कहना है कि यदि इसी तरह से मौसम बना रहा तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है।

शास्त्री नगर में 24 घंटे काम करने वाला केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र के साथ ही 15 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इससे यमुना का जलस्तर और जलजमाव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है।

पौधारोपण करके हरियाली बढ़ाएं अपना और सभी का स्वास्थ्य लाभ बढ़ाएं : योगेंद्र कुमार

मुख्य संवाददाता

दिल्ली : उत्तर पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में वन महोत्सव के उपलक्ष के शुभ अवसर पर तरह-तरह के पौधों का पौधारोपण किया गया। वही योगेंद्र कुमार सह अधीक्षक जेल एवं मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड)ने इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक इनर व्हील क्लब ने साथ मिल कर गवर्मेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 3 तिलक नगर में वन मोहत्सव के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में फलदार एवम अक्सीजन देने वाले वृक्ष का पौधारोपण किया तथा बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया इस अवसर पर योगेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों से निवेदन किया की जिस विधार्थी ने पौधारोपण किया है वो ही उसकी देखभाल करेगा ध्यान रखेगा कि उस पौधे को कोई तोड़े ना और समय-समय पर उसमें पानी भी दिया जाए वह पर्यावरण पर पौधों का कितना असर होता है यह भी विद्यार्थियों को समझाया आने वाले समय में हरियाली कितनी जरूरी है इसके बारे में भी विद्यार्थियों को बताया तथा प्रधानाचार्य रेनू सेठी ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया तथा मीरा तलवार अध्यक्ष ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा रोपण जरूर करे । शुचि सूद सचिव, डॉ परमजीत छाबड़ा संयुक्त सचिव ,रीता सिंहा कोषाध्यक्ष ,मिन्नी गोसाईं आईएसओ ,सुशीला गुप्ता सदस्य ने भी बच्चों जागरूक किया ।

नेशनल अकाली दल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर करेगा कार्यक्रम

मुख्य संवाददाता

दिल्ली : दिल्ली सदर बाजार जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है इसको लेकर सभी में अपने देश की सेना व सरकार पर गर्व है यह कहना नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा का है।

पम्मा ने बताया 27 जुलाई को ऑपरेशन संदूर की सफलता को लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें डॉक्टर, वकील, समाजसेवी व व्यापारी उपस्थित होंगे और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई जाएगी क्योंकि समय-समय पर लोगों को देशभक्ति से जोड़ना जरूरी है।

पम्मा ने कहा कि वह समय-समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों को देश के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें ऑनलाइन गेम में ना खेलने की भी शपथ दिलाएंगे।

इस अवसर पर नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन ने बताया एक दशक से एंग्री मैन का ख़तिाब परमजीत सिंह पम्मा जी नाम पर होने पर समारोह किया जाएगा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में देश व समाज के हित में कार्य करने वालों को एन ए डी देश रतन 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया परमजीत सिंह पम्मा लगभग 31 वर्षों से समाज व देश के हित के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं।

श्रावण (11 जुलाई से 09 अगस्त 2025) में विशेष

अद्भुत व अनौखी होती है श्रावण मास में ब्रज की छटा

डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

ब्रज में श्रावण मास की छटा अद्भुत व अनौखी होती है। जो कि देखते ही बनती है। हर ओर अत्यंत हर्षोल्लास रहता है। वन-उपवन और कुंज लताओं की हरीतमा के मध्य नृत्य करते मयूरों के झुंड श्रावण के आगमन पर अपने पंख फैलाकर कुहुकने लगते हैं। वर्षा की नन्ही रिमझिम व बड़ी फुहारों के मध्य समूचा ब्रज प्रिया-प्रियतम में भाव निमग्न होकर झूमने लगता है। यहां श्रावण का अर्थ है- झूले, कजरी, बरसते मेघ, भीगता मन, खनकती चूड़ियाँ और खिलती महंदी। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह आकाश को छू ले। यहां के विभिन्न मंदिरों में झूलों, हिंडोलों, रासलीला, मल्हार गायन व सत्संग-प्रवचन आदि की विशेष धूम रहती है। देश-विदेश के विभिन्न दूरवर्ती स्थानों से आये भक्त-श्रद्धालुओं व पर्यटकों का जमघट इस धूम का और अधिक सम्वर्धन कर देता है। इस माह में प्रायः प्रत्येक मन्दिर-देवालयों में हिंडोले सजाये जाते हैं। हिंडोले उन्हें कहते हैं कि जिनमें बैठकर ठाकुर जी झूला झूलते हैं। ₹भक्ति रसामृत सिंधु₹ ग्रंथ में यह लिखा है कि भक्ति के जो 64 अंग हैं उनमें एक अंग हिंडोला उत्सव भी है। साथ ही मन्दिरों को केले के पत्तों, फूल-पत्तियों, कांच की रंगीन पिछ्वाईयों व पर्दों आदि से सजाया जाता है, जिसे कि घटा कहते हैं। कभी काली घटा, कभी हरी घटा, कभी लाल घटा। कुछ मन्दिरों में नित्य नए-नए प्रकार के हिंडोले सजाये जाते हैं। जिनमें ठाकुर विग्रह विराजित कर उनका मालपूए, घेवर व फैनी आदि से भोग लगाया जाता है। वस्तुतः ब्रज के प्रायः सभी ठाकुर विग्रह पूरे श्रावण मास यह मिष्ठान अगोरते रहते हैं। भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति पूरे श्रावण मास भर उनकी पूजा-अर्चना व व्रत आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी समस्त मनोकामनायें पूर्ण हो जातीं हैं। श्रीधाम वृन्दावन के वंशीवट क्षेत्र स्थित गोपीश्वर महादेव मंदिर में इस मास शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तगण उनका रुद्राभिषेक कर भांति-भांति से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं।

ब्रज में श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में माँ पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इसी व्रत के फल-स्वरूप पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। ब्रज में हरियाली तीज का त्योहार यहां की जीवन-शैली का एक अविभाजित हिस्सा है। यहाँ यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण और उनकी आल्हादिनी शक्ति राधा रानी के ₹झूलनोत्सव₹ के रूप में तीज से लेकर रक्षा बंधन तक पूरे 13 दिनों अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही यहाँ इन दिनों सर्वत्र हिंडोला उत्सव की बहार आ जाती है। इस उत्सव के दौरान यहां के हर एक मन्दिर में हिंडोला पड़ जाता है और उनमें नित्य-प्रति संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के मध्य झूले के पदों का गायन प्रारंभ हो जाता है। स्वर्ण व रजत मण्डित एवं विशाल व कलात्मक हिंडोले केवल ब्रज के मंदिरों में हीं दिखाई देते हैं। जो कि यहां के मंदिरों के वैभव व सम्पन्नता के प्रतीक हैं।

ब्रज के मन्दिरों में ₹हिंडोला उत्सव₹ अर्थात ₹झूलनोत्सव₹ का शुभारंभ महाप्रभु बल्लभाचार्य के समय में हुआ था।

हरियाली तीज पर वृन्दावन का विश्वविख्यात ठाकुर बाँके-बिहारी मंदिर सभी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। क्योंकि यहां वर्ष भर में केवल इसी एक दिन ठाकुर बाँके बिहारी जी महाराज को सोने व चांदी से बने अत्यंत भव्य व विशाल 218 किलो वजनी हिंडोले में झुलाया जाता है। यह हिंडोला सन 1947 में ठाकुर श्री बाँके बिहारी महाराज के अनन्य भक्त सेठ स्व. हरगुलाल बेरीवाला ने वाराणसी से कुशल कारीगरों को बुलाकर बनवाया था। यह हिंडोला उत्कृष्ट कारीगरी का नायाब नमूना है।

ठाकुर राधा-रमण मन्दिर वृन्दावन का प्रख्यात मन्दिर है। यहां हरियाली तीज के प्रथम तीन दिन सोने, अगले तीन दिन चांदी और फिर पूर्णिमा तक के शेष साथ दिन तक फूल-पत्ती आदि के भव्य हिंडोलों में लम्बे-लम्बे झोटे देकर ठाकुर जी को झुलाया जाता है।

वृन्दावन के ठाकुर राधादामोदर मन्दिर में हरियाली तीज से रक्षा बन्धन पर्यंत झूलन यात्रा महोत्सव की अत्यधिक धूम रहती है। इस दौरान ठाकुर जी को काष्ठ से सुसज्जित हिंडोले में झुलाया जाता है। इस दर्शन हेतु भक्त श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। साथ ही लोग-बाग इस मंदिर की चार परिक्रमा भी करते हैं। क्योंकि यह मान्यता है कि इस मंदिर की चार परिक्रमा करने गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है।

उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले वृन्दावन के प्रख्यात ठाकुर रँगलक्ष्मी मन्दिर में चांदी और शाहजी मन्दिर में सोने के हिंडोले में ठाकुर जी को झुलाया जाता है। शाहजी मन्दिर में रक्षा बंधन के दिन भक्त-श्रद्धालुओं को झाड-फ़ानूश से सुसज्जित बसन्ती कमरे के दर्शन भी कराए जाते हैं। यह कमरा वर्ष भर में केवल रक्षा बंधन व बसंत पंचमी पर ही खोला जाता है।

राधारानी की क्रीड़ा स्थली बरसाना के श्रीजी मन्दिर में भी हिंडोला उत्सव हरियाली तीज से रक्षा बन्धन तक मनाया जाता है। इस दौरान राधारानी के श्रीविग्रह को भव्य स्वर्ण हिंडोले में गीत-संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के साथ झुलाया जाता है। जबकि नंदगांव के नन्दबाबा मन्दिर में ठाकुर जी को विशालकाय चांदी के हिंडोले में झुलाया जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण के अग्रज ठाकुर दाऊदयाल की नगरी बल्देव के दाऊजी मन्दिर में श्रावण शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक भगवान श्रीकृष्ण के अग्रज दाऊजी व उनकी भार्या रेवती मैया के श्रीविग्रहों के समक्ष जगमोहन में 15-15 फुट के स्वर्ण व रजत जड़ति हिंडोले स्थापित कर दिये जाते हैं। साथ ही स्वर्ण जड़ति दर्पण में पड़ने वाले दाऊजी और रेवती मैया के प्रतिविम्बों को उक्त हिंडोलों में झुलाया जाता है। क्योंकि इन दौनों के विग्रह बड़े होने के कारण हिंडोलों में विराजित नही किये जा सकते हैं।

मथुरा के ठाकुर द्वारिकाधीश मन्दिर एवं गोकुल के विभिन्न बल्लभकुलीय मन्दिरों में श्रावण के प्रारंभ से रक्षाबंधन तक निरन्तर एक माह प्रतिदिन ठाकुर जी को हिंडोले में अत्यंत भाव व श्रद्धा के साथ झुलाया जाता है।यहाँ सोने का एक एवं चांदी के दो विशालकाय हिंडोले हैं। द्वारिकाधीश मन्दिर में हिंडोला उत्सव प्रायः श्रावण कृष्ण द्वितीया से प्रारंभ होकर भाद्र कृष्ण द्वितीया तक चलता है। इस दौरान श्रावण शुक्ल अष्टमी को लाल घटा, श्रावण शुक्ल दशमी को गुलाबी घटा, श्रावण शुक्ल द्वादशी को काली घटा, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को लहरिया घटा सजाई जाती है।

इस अनूठे हिंडोला झूलनोत्सव के दर्शन करने के लिए अपने देश के सुदूर प्रांतों से और विदेशों से भी असँख्य दर्शनार्थी यहां प्रतिवर्ष आते हैं। जो कि यहां के विभिन्न मंदिरों में सजाये गए हिंडोलों और घटाओं के मध्य राधा-कृष्ण के अद्भुत रूप-माधुर्य का दर्शन सुख प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। इस प्रकार समूचा ब्रज पूरे श्रावण मास सोने, चांदी व पुष्पों से आच्छादित हिंडोलों के द्वारा श्यामा-श्याम मय रहता है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार व आध्यात्मिक पत्रकार हैं)

सोनीपत जिले के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है....

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त महोदय एवं जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से हरियाणा सरकार एवं एन जी टी आयोग के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद भी सोनीपत जिले के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मुख्य सड़कों पर नगर निगम द्वारा गलियों एवं कालोनियों में से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी अपनी रिक्शा में लाया गया कूड़ा पलट कर चले जाते हैं और इस कूड़े के ढेर के कारण हजारों लोगों को प्रतिदिन स्कूल कॉलेज दफ्तर एवं अन्य प्रतिदिन की जिम्मेदारी को निभाने के लिए कूड़े एवं गंदगी के कारण उठ रहे रहे कीटाणुओं को अपने जूतों कपड़ों एवं वाहनों के जरिए नाक मुंह आंखों फेफड़ों में सांस लेते हुए बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर गोबर के ढेर भी शहर की सड़कों के किनारे पशु पालकों द्वारा अंधेरे का फायदा उठा कर डाल दिया जाता है बारिश के दौरान सीवर लाइन को ब्लॉक करने का मुख्य कारण बन जाता है इस गंदगी के कारण सड़कों पर पशुओं एवं पक्षियों के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं और इन दिनों पैदल चल रहे श्रद्धालुओं एवं अन्य नागरिकों को भी कुछ तो सड़कों की गंदगी और दूसरी तरफ बरसाती नालों एवं सीवर लाइन की रुकावटों से जूझना पड़ता है अपनी मातृ भूमि का शुभ चिंतक होने के नाते इस प्रकार की स्थिति में सुधार करवाने की आवश्यकता है आपका शुभ चिंतक संदीप बत्रा कानूनी सेवक एवम ज़िला संयोजक सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत हरियाणा द्वारा जन हित में जारी।

बांदा से लापता मजदूर की कानपुर में संदिग्ध हालातों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

- परिजनों ने लगाया 2 साल से लापता मजदूर की हत्या का आरोप

सुनील बाजपेई

कानपुर। बांदा जिले से 2 साल से लापता एक व्यक्ति यहां हनुमंत विहार थानाक्षेत्र में संदिग्ध हालातो में मौत हो गई । निर्माणाधीन गेस्ट में गंभीर रूप से घायल पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमीरपुर के थाना कुरारा के गांव झलोखर निवासी शिवशंकर (55) दो साल पहले गांव से लापता हो गए थे। उसके बाद काफी तलाश के फलस्वरूप भी उनका कुछ भी नहीं पता चल सका था। इसके बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।पुलिस ने बताया कि जब सूचना देकर वाट्सएप में शिवशंकर की फोटो भेजी गई तो परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली।

पुलिस के अनुसार शिवशंकर सागरपुरी में निमार्णाधीन गेस्ट हाउस में मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान

गेस्ट हाउस में सीढ़ी से गिरने की बात कही जा रही है। भांजे के अनुसार उन्होंने साथ काम करने वाले कर्मचारी से बात की तो वह हड़बड़ाने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने रविवार रात शिवशंकर के साथ मुर्गा खाने और दारू पीने की बात कबूली।

इसबीच भांजे ने नशेबाजी में सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर परिजन की तहरीर पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

रात को देर तक जागने की आदत कर रही है दिमाग कमजोर और आपकी सेहत का होता है नुकसान डॉ हृदयेश कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद हरियाणा फरीदाबाद सेक्टर 3 राम मंदिर में वर्ल्ड ब्रेन डे के उपलक्ष्य पर विशेष जगरूता करने की चर्चा की गई सदैव आप की सेवा में समर्पित हो कर समाज हित में रहते हैं डॉ हृदयेश कुमार

हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे (World Brain Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन ब्रेन हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसलिए हमने एक्सपर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश की कि युवाओं की सबसे कॉमन आदत यानी रात को देर तक जगना कैसे उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात पर विशेष ध्यान दे कर बताया

दिमाग के लिए भी जरूरी है 7-8 घंटे की नींद

हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है

इस दिन दिमागी स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाता है

लाइ रात की नींद हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान दिमाग भी खुद को आराम देता है, रिपेयर करता है और दिनभर की मेमोरी को स्टोर करता है। हालांकि, आजकल की लाइफस्टाइल में लोग रात को देर तक जागते हैं, खासकर युवा। लेकिन क्या आप जानते हैं नींद की कमी सीधे तौर पर हमारे दिमाग को नुकसान (Sleep and Brain Health) पहुंचा सकती है?

इसलिए ब्रेन हेल्थ डे (World Brain Day 2025) के मौके पर अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने बताया कि जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो इसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है।

नींद के दौरान हमारा दिमाग दिनभर की एक्टिविटीज और सीखी गई चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। डीप स्लीप और REM स्लीप साइकिल के दौरान दिमाग नई जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए स्टोर करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो यह प्रक्रिया बाधित हो

जाती है, जिससे याददाश्त कमजोर होने लगती है और नई चीजें सीखने में मुश्किल होती है।

फोकस करने और फैसले लेने की क्षमता में कमी

नींद की कमी से दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे फोकस, रीजनिंग और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, उनमें रिएक्शन टाइम भी धीमा हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।

मूड स्विंग और मेंटल हेल्थ पर दुष्प्रभाव

कम सोने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़े, स्ट्रेसफुल या उदास महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि नींद की कमी अमिगडाला नाम के दिमाग के हिस्से को ज्यादा एक्टिव कर देती है, जो इमोशन्स को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही, नींद की कमी से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा बढ़ जाता है।

लंबे समय तक नींद की कमी दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। नींद की कमी से दिमाग के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स की संख्या कम हो सकती है। साथ ही, नींद के दौरान दिमाग टॉक्सिक प्रोटीन्स, जैसे बीटा-एमिलॉइड को साफ करता है, जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े होते हैं। नींद पूरी न होने पर ये हानिकारक प्रोटीन जमा होने लगते हैं, जिससे दिमाग की काम करने की क्षमता प्रभावित होती है।

क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमी

नींद हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग के लिए भी जरूरी है। जब हम सोते हैं, तो दिमाग नई जानकारी को जोड़कर समस्याओं का हल ढूंढता है। नींद पूरी न होने पर यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे नए आइडियाज आने कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो रोजाना 7-9 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद की कमी न सिर्फ आपकी रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है,

मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस 2006-ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए सभी 12 लोगों को हाईकोर्ट ने आरोपों से बरी किया-फिर दोषी कौन ? प्रॉसीक्यूशन पर उठे सवाल ?

भारत में भ्रष्टाचार आतंकवाद हत्या इत्यादि अपराधों में प्रॉसीक्यूशन द्वारा सजा दिलाने का प्रतिशत बहुत कम होना सोचनीय?

भारत में प्रॉसीक्यूशन पक्ष की सफलताओं को प्रभावित करने में राजनीतिक हस्तक्षेप,भ्रष्टाचार गवाहों का डर इत्यादि कारकों का संज्ञान लेना ज़रूरी-**एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ में भारतीय संवैधानिक संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग न्यायपालिका इत्यादि की प्रतिष्ठा बनी हुई है, परंतु कुछ की परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण कम है, स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि अंदरखाने भ्रष्टाचार राजनीतिक हस्तक्षेप डिपार्टमेंट की आपसी जबरदस्त मिलीभगत न्यायपालिका में प्रॉसीक्यूशन को प्रभावित कर असफलता के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के केस में पटवारी या बाबू से लेकर अधिकारी तक फसता है तो मैं प्रैक्टिकल देखा हूं कि भ्रष्टाचार का आरोपी कुछ समय निलंबित रहने के बाद ड्यूटी पर वापस ज्वाइन हो जाता है फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बरी भी हो जाता है, इसमें पूरी चैनल की मिली भगत हो सकती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता, परंतु इसका एक अपवाद यह भी है कि किसी हाई प्रोफाइल केस में कोई हाथ नहीं डालता, बल्कि कुछ कानूनी लीकेज का फायदा बचावपक्ष उठकर फिर प्रॉसीक्यूशन को पटकनीं दे देता है आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 21 जुलाई 2025 को माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के ट्रायलकोर्ट से दोषी ठहराए गए 12 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में प्रॉसीक्यूशन पक्ष की सफलताओं को प्रभावित करने में राजनीतिक हस्तक्षेप भ्रष्टाचार गवाह को डराना इत्यादि कारकों का संज्ञान लेना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम सोमवार दिनांक 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की करें तो, 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने ही यह अपराध किया हो, इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केसः-11 जुलाई 2006:7 बम धमाके मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए, 187 लोगों की मौत, 824 घायल, जुलाई-अगस्त 2006:13 लोगों की गिरफ्तारी, 30 नवंबर 2006: 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जिनमें 13 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल 2007: ट्रायल शुरू, सितंबर 2015:12 लोगों को दोषी ठहराया गया, 5 को फांसी, 7 को उम्रकैद, 2024: हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई शुरू की, 21 जुलाई 2025: सभी 11 आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत

जेल से रिहा किया जाए।कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से दो आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।11जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के सात कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद यह फैसला आया है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या 3 पॉइंटः-(1) सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीष पांडे बताते हैं, 'बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।'(2)भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है।(3)याचिका मंजूर हुई तो फिर इस पर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के आधारों की जांच होगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा। इसमें लंबा वक्त लग सकता है।

साथियों बात अगर हम स्पेशल मकोका कोर्ट के फैसले की करें तो, 2006 में 13 आरोपी पकड़े गए थे, 5 को फांसी की सजा, एक बरी हुआ।करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्रकैद की सजा और एक आरोपी को बरी कर दिया था।2016 में आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, 9 साल केस चला2019 में बॉम्बेहाईकोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत दलीलें और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। 2023 से 2024 तक हाईकोर्ट में मामला लंबित रहा, सुनवाई टुकड़ों में होती रही। 2025 में हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया।

साथियों बात अगर हम प्रॉसीक्यूशन की चुनौतियों की करें तो, भारतीय अदालतों में, अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) द्वारा अपराधियों को सजा दिलाना एक जटिल प्रक्रिया है और कई कारक हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सजा दर कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें साक्ष्य की कमी, गवाहों की अनिच्छा, या कानूनी प्रक्रियाओं में देरी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सजा की दर एक जटिल मुद्दा है और इसमें सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहां कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों भारतीय अदालतों में अपराधियों को सजा दिलाना मुश्किल हो सकता हैः(1) साक्ष्य की कमीः-अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। यदि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहता है, तो अपराधी को बरी किया जा सकता है। (2) गवाहों की अनिच्छाः कई बार गवाह डर के मारे या किसी अन्य कारण से गवाही देने से हिचकिचाते हैं। इससे अभियोजन पक्ष के लिए मामले को साबित करना मुश्किल हो जाता है। (3) कानूनी प्रक्रियाओं में देरीःभारतीय अदालतों में मुकदमेबाजी में अक्सर देरी होती है। यह देरी साक्ष्य को कमजोर कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है, जिससे अभियोजन पक्ष के लिए मामले को जीतना मुश्किल हो जाता है। (4) अपर्याप्त कानूनी सहायताःकुछ मामलों में, आरोपी के पास एक मजबूत कानूनी टीम नहीं होती है, जो उसे प्रभावी ढंग से बचाव कर सके। इससे अभियोजन पक्ष के लिए मामले को जीतना आसान हो जाता है।इन कारकों के अलावा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, और अदालतों में अपर्याप्त संसाधनों जैसे अन्य कारक भी हैं जो अभियोजन पक्ष की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं।भारतीय अदालतों में सजा दर में सुधार के लिए सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में शामिल हैं (1) कानूनों और प्रक्रियाओं में सुधारःसरकार कानूनों और प्रक्रियाओं में सुधार कर रही है ताकि अभियोजन पक्ष को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिल सके।(2)अदालतों में संसाधनों में वृद्धिः-अदालतों में अधिक संसाधनों को आवंटित करके, सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मुकदमेबाजी में देरी कम हो।(3) जागरूकता बढ़ानाःसरकार और अन्य हितधारक जनता को कानूनी प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं।इन प्रयासों के बावजूद, भारतीय अदालतों में सजा दर में सुधार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को सजा मिले, निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस 2006-ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए सभी 12 लोगों को हाईकोर्ट ने आरोपों से बरी किया-फिर दोषी कौन ?प्रॉसीक्यूशन पर उठे सवाल ?भारत में भ्रष्टाचार आतंकवाद हत्या इत्यादि अपराधों में प्रॉसीक्यूशन द्वारा सजा दिलाने का प्रतिशत बहुत कम होना सोचनीय ?भारत में प्रॉसीक्यूशन पक्ष की सफलताओं को प्रभावित करने में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, गवाहों का डर इत्यादि कारकों का संज्ञान लेना ज़रूरी है।

लोक अदालत में कौन-से Traffic Challan नहीं होते है माफ ? करना होगा आपको ये काम

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी जहाँ लंबित ट्रैफिक चालानों को कम या माफ कराया जा सकता है। यहाँ सीट बेल्ट हेलमेट न पहनने जैसे सामान्य चालानों पर सुनवाई होती है। नशे में ड्राइविंग हिट-एंड-रन और नाबालिग द्वारा ड्राइविंग जैसे मामलों की सुनवाई नहीं होती। लोक अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना आवश्यक है।

नई दिल्ली। अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को लगने वाली है। यहां पर आप अपने किसी भी पेंडिग ट्रैफिर चालान को माफ या फिर कम करवा सकते हैं। यहां पर छोटे से लेकर बड़े चालान तक की सुनवाई की जाती है, जिसमें कुछ मामूली ट्रैफिक नियम से लेकर बड़े नियम तक शामिल है। यहां पर ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से माफ नहीं किया जाता है, बल्कि उस फाइन को कम कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। लोक अदालत में कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। हम यहां पर आपको इन्हीं मामलों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है।

लोक अदालत में माफ होने वाले ट्रैफिक चालान

लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक चालान को माफ या कम किया जाता है। इन ट्रैफिक चालान में सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, रेड लाइट तोड़ना और गलती से कटा चालान जैसे जुर्माने शामिल है। इन ट्रैफिक जुर्माने के साथ ही स्पीड लिमिट उल्लंघन, PUC सर्टिफिकेट न होना, गलत जगह पर पार्किंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में ड्राइविंग, ट्रैफिक साइन न मानना, या बिना नंबर प्लेट के ड्राइविंग से जुड़े मामले भी लोक अदालत में माफ या कम करवाए जा सकते हैं।

लोक अदालत में माफ नहीं होने वाले ट्रैफिक चालान

लोक अदालत में कुछ ऐसे चालान है, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। इसमें नशे में ड्राइविंग करना, हिट-एंड-रन के मामले, लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल, वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में होना, लंबित कोर्ट केस वाले ट्रैफिक चालान शामिल है।

लोक अदालत में उन ट्रैफिक चालान की भी सुनवाई नहीं होती है, जिनका जुर्माना दूसरे राज्य में कटा हो। अगर आपका चालान नोएडा में कटा है, तो उसकी सुनवाई दिल्ली या फिर गुरुग्राम लोक अदालत में नहीं की जाएगी।

लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होती है, उन मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को पारंपरिक कोर्ट जाना होगा।

इन बातों का रखें ध्यान

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवाने के लिए जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको टोकन नंबर के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें यह बताया गया होगा कि किस दिन लोक अदालत लगने वाली है। जिस दिन लोक अदालत लगेगी, उस दिन आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो लोक अदालत के लिए समय दिया गया है, उससे आधा घंटा पहले पहुंचना होगा।

सुज़ुकी बर्गमैन 400 पहले से ज्यादा हुआ अट्रैक्टिव, नए कलर के साथ हुआ लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

सुजुकी ने यूरोप में अपनी लोकप्रिय मैक्सी-स्कूटर 2025 Suzuki Burgman 400 को नए रंगरूप में पेश किया है। इस स्कूटर में 400cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है और यह CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। नए मॉडल में LCD स्क्रीन ट्रैक्शन कंट्रोल LED हेडलैंप जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। 2025 Suzuki Burgman 400 को तीन नए आकर्षक रंगों में पेश किया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।

नई दिल्ली। सुजुकी ने अपनी पॉपुलर मैक्सी-स्कूटर 2025 Suzuki Burgman 400 को यूरोप में पेश किया है। इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसे नए और अट्रैक्टिव कलर के साथ पेश किया गया है। आइए बर्गमैन 400 के 2025 मॉडल के डिज़ाइन, इंजन और फीचर्स के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत में इसे कब लॉन्च किया जाएगा?

2025 Suzuki Burgman 400 का नया लुक

2025 बर्गमैन 400 को तीन नए कलर के साथ पेश किया गया है, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। इमें सुनहरे पहियों के साथ पर्ल मैट शैडो ग्रीन, काले रंग में सुनहरे पहियों के साथ ब्लैक विद गोल्डन रिम्स, और स्कूटर को स्पोर्टी और एनर्जेटिक वाइब के लिए ब्राइट मेटालिक ब्लू कलर दिया गया है। इन कलर के अलावा बाकी डिजाइन और फीचर्स वही है, जो पहले इसमें मिलते थे।

2025 Suzuki Burgman 400 का इंजन

इसके इंजन में किसी तरह का अपडेट नहीं किया गया है। इसमें 400cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो CVT (कंटिन्यूअसली वैरिएबल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ आता है।

2025 Suzuki Burgman 400 के फीचर्स

इसे कई मॉडर्न फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है, जो इसे एक प्रीमियम स्कूटर बनाते हैं। इममें LCD स्क्रीन के साथ ट्विन-पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्लिपिंग से बचाने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, अंडर-सीट स्टोरेज, रात में बेहतर रोशनी के लिए LED हेडलैंप जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

2025 Suzuki Burgman 400 का सस्पेंशन

इसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग और ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन दिया गया है और पीछे की तरफ लिंक टाइप, सिंगल शॉक, कॉइल स्प्रिंग और ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ ट्विन 260 mm डिस्क और पीछे की तरफ सिंगल 210 mm डिस्क ब्रेक दिया है। इसमें डुअल-चैनल ABS दिया गया है।

हुंडईको फिर पछाड़ महिंद्रा निकली आगे, मारुति पहले नंबर पर बरकरार

परिवहन विशेष न्यूज

मई 2025 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 0.8% घटकर 344656 इकाई रही। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2.2% बढ़कर 1655927 इकाई हो गई। सियाम के अनुसार सभी श्रेणियों में वाहनों की थोक बिक्री 1.8% बढ़कर 2012969 इकाई हो गई। राजेश मेनन ने कहा कि यात्री वाहन सेगमेंट में मामूली गिरावट आई है पर कुल बिक्री अच्छी रही। रेपो रेट में कटौती और अच्छे मानसून से ऑटो क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री इस साल मई में मामूली रूप से 0.8 प्रतिशत घटकर 3,44,656 इकाई रह गई। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 3,47,492 इकाई रहा था। सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मई में निर्माताओं से डीलरों को दोपहिया वाहनों की बिक्री 2.2 प्रतिशत बढ़कर 16,55,927 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह 16,20,084 इकाई थी। अगर सभी श्रेणियों में वाहनों की थोक बिक्री की बात करें तो यह 1.8 प्रतिशत बढ़कर 20,12,969 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल मई में यह 19,76,674 इकाई थी।

चार पहिया वाहनों की बिक्री

सियाम ने कहा कि यात्री वाहन सेगमेंट में मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 1,35,962 यूनिट रही, जबकि मई 2024 में यह 1,44,002 यूनिट थी। घरेलू वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले साल इसी महीने 43,218 यूनिट के मुकाबले 52,431 यूनिट की बिक्री की, जबकि हुंडई मोटर इंडिया ने मई 2024 में 49,151 यूनिट की तुलना में 43,861 यूनिट की घरेलू बिक्री दर्ज की।

दोपहिया वाहनों की बिक्री

दोपहिया वाहन खंड में मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले महीने 10,39,156 इकाई पर लगभग स्थिर रही। मई 2024 में यह आंकड़ा 10,38,824 इकाई था। दूसरी ओर, स्कूटर की बिक्री पिछले महीने 7.1 प्रतिशत बढ़कर 5,79,507 इकाई हो गई, जबकि मई 2024 में यह 5,40,866 इकाई थी। सियाम ने कहा कि घरेलू बाजार में कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 55,763 इकाई की तुलना में 3.3 प्रतिशत घटकर 53,942 इकाई रह गई।

दोपहिया वाहन खंड में मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले महीने 10,39,156 इकाई पर लगभग स्थिर रही। मई 2024 में यह आंकड़ा 10,38,824 इकाई था। दूसरी ओर, स्कूटर की बिक्री पिछले महीने 7.1 प्रतिशत बढ़कर 5,79,507 इकाई हो गई, जबकि मई 2024 में यह 5,40,866 इकाई थी। सियाम ने कहा कि घरेलू बाजार में कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 55,763 इकाई की तुलना में 3.3 प्रतिशत घटकर 53,942 इकाई रह गई।

2025 होंडा XL750 ट्रांसलप भारत में लॉन्च, नए लुक और फीचर्स के साथ हुई और दमदार

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा मोटरसाइकिल्स ने भारतीय बाजार में 2025 Honda XL750 Transalp लॉन्च की जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है। यह बाइक ऑफ-रोड एडवेंचर और टूरिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 755cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है और यह दो रंगों में उपलब्ध है। बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जुलाई 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। इसमें कई आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल्स ने भारतीय बाजार में 2025 Honda XL750 Transalp को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को ऑफ-रोड, एडवेंचर, और टूरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 10.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे आप सड़क और ऑफ-रोड दोनों जगह पर आसानी से चला सकते हैं। इसके लॉन्च होने के साथ ही होंडा के बिगविंग डीलरशिप्स पर इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है और डिलीवरी जुलाई 2025 से शुरू की जा सकती है। आइए 2025 XL750 ट्रांसअल्प के डिजाइन, इंजन और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

2025 Honda XL750 Transalp का डिजाइन

इसे नया और मॉडर्न लुक दिया गया है, जिसकी वजह से यह पिछले मॉडल से ज्यादा बेहतरीन दिखाई देती है। इसमें नया नया विंडस्क्रीन, ट्विन LED क्लस्टर के साथ रिफ्रेश्ड हेडलाइट, दोनों पहियों पर सुनहरे रंग के फिनिश के साथ वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इसे रॉस व्हाइट और ग्रेफाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

2025 Honda XL750 Transalp का इंजन

इसमें 755cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 91.77 PS पावर और 75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच भी दिया गया है। इस इंजन को ट्रांसअल्प के लिए इसे खास तौर पर ट्यून किया गया है। इसके इंजन में हल्का बदलाव किया गया है, जो इस बाइक को लो-एंड ग्रंट और मिड-रेंज ड्राइव में बेहतर बनाते हैं।

2025 Honda XL750 Transalp का सस्पेंशन

इस बाइक में दोनों वायर-स्पोक और ट्यूब्ड टायर्स के साथ 21-इंच फ्रंट व्हील और 18-इंच रियर व्हील दिए गए हैं। फ्रंट में बेहतर कंट्रोल के लिए शोवा 43mm इनवर्टेड फोर्क, रियर लिंक-टाइप मोनोशॉक दिया गया है। इसमें सस्पेंशन को ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए खास तौर पर ट्यून किया गया है। ब्रेकिंग के लिए 310mm डुअल फ्रंट डिस्क और 256mm रियर डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS दिया गया है।

2025 Honda XL750 Transalp के फीचर्स

होंडा की इस मोटरसाइकिल में 5.0-इंच कलर TFT कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक, कॉल, और SMS अलर्ट, बैकलिट स्विचगियर, ऑटोमैटिक टर्न सिग्नल कैंसिलेशन और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल

जल्द खुलेगा भारत का पहला ऑटोमोटिव डिजाइन स्कूल; नितिन गडकरी ने रखी आधारशिला, 2026 से शुरू होगा संचालन

परिवहन विशेष न्यूज

भारत का पहला ऑटोमोटिव डिजाइन स्कूल इंडियन स्कूल फॉर डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स (INDEA) की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे वर्चुअल रूप से स्थापित किया जिसका संचालन 2026 से शुरू होगा। XLRI के सहयोग से विकसित यह स्कूल भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर को नई दिशा देगा। यहाँ छात्रों को पारंपरिक शिक्षा से अलग प्रैक्टिकल अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिससे वे डिजाइन में नवाचार कर सकेंगे।

नई दिल्ली। भारत का पहला ऑटोमोटिव डिजाइन स्कूल इंडियन स्कूल फॉर डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स (INDEA) की आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल तरीके से रखी। इसका कामकाज साल 2026 से शुरू किया जाएगा। यह स्कूल XLRI के सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल डिजाइन एंड मैनेजमेंट (XADM) के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। INDEA के संस्थापक और XADM के चेयरपर्सन अविक चट्टोपाध्याय का मानना है कि यह स्कूल भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक अनोखी डिजाइन दर्शन को जन्म देगा। आइए इस स्कूल के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

INDEA की शुरुआत

XLRI दिल्ली-NCR कैंपस में INDEA की भूमि पूजन और नींव रखने की समारोह 16 जून 2025 को हुआ। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, XLRI दिल्ली-NCR के डायरेक्टर KS कसीमिर, और अविक चट्टोपाध्याय वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। इस कॉलेज का लक्ष्य पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा से हटकर एक वर्किंग स्टूडियो के रूप में काम करना है, जहां पर छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस दिया जाएगा।

कैसा होगा स्लेबस ?

INDEA का स्लेबस काफी अलग है। अविक चट्टोपाध्याय ने बताया कि यहां कोई पारंपरिक कक्षा नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा हॉल होगा जहां 25 छात्र बैठेंगे। बाकी समय वे क्ले मॉडलिंग एरिया, CAD-CAM लैब, प्रोटोटाइप वर्कशॉप, या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब में काम करेंगे। उनके स्लेबस में हैंड ड्रॉइंग, CAD (कंप्यूटर-एडेड डिजाइन), 3D मॉडलिंग, स्केल, 1:1 क्ले मॉडलिंग और प्रोटोटाइपिंग तक शामिल है।

यहां पर छात्रों को कोर्स डिजाइन और मैनेजमेंट को मिलाकर सिखाया जाएगा। छात्रों को डिजाइन सिखाने का काम जापान, जर्मनी, और भारत के डिजाइन स्पेसलिस्ट करेंगे। कोर्स के आखिरी में सभी छात्र मिलकर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाएंगे, जिसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।

ऑटोमोटिव डिजाइन में एक अनोखी पहचान

अविक चट्टोपाध्याय का मानना है कि केवल मेक इन इंडिया से काम नहीं चलेगा, इसके लिए डिजाइन इन इंडिया भी जरूरी है। जब तक हम डिजाइन को निवेश के रूप में नहीं देखेंगे, इसे खर्च समझते रहेंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या नई असेंबली लाइन को निवेश माना जाता है, तो डिजाइन को क्यों नहीं? भारत अपनी ऑटोमोटिव डिजाइन में एक अनोखी पहचान बनाए, जो आने वाले तीन दशकों में इंडियन डिजाइन DNA के रूप में सामने आए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वास्तुकला, भोजन, संगीत, कला, और कपड़ों में गहरी सौंदर्यबोध है, तो फिर वाहनों में क्यों नहीं? डिजाइन को ओवरली इंडियन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें भारतीयता की बारीक छाप होनी चाहिए—जैसे इंटीरियर डिजाइन या इस्तेमाल की जाने वाली फैब्रिक्स में। वह इटली के ऑटोमोटिव डिजाइन से प्रेरणा लेते हैं, जहां फेरारी या लैम्बोर्गिनी के लोगो हटाने के बाद भी लोग इसे इटालियन डिजाइन के रूप में पहचान लेते हैं। इसी तरह, भारत को भी एक विशिष्ट डिजाइन लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा डिजाइन महंगा नहीं, बल्कि लाभकारी होता है। वे तमाम पंच की मिसाल देते हैं, जिसकी बिक्री डिजाइन के कारण होती है चाहे वह बाहर का लुक हो या अंदर का इंटीरियर। अगर सही निवेश हो, तो डिजाइन से मुनाफा बढ़ता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पुस्तकालयों का भविष्य

विजय गर्ग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से पुस्तकालयों को बदल रहा है, उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं से परे ले जाकर अधिक गतिशील, व्यक्तिगत और जानकारी के कुशल हब बन सकता है। यह बदलाव पुनर्परिभाषित कर रहा है कि पुस्तकालय कैसे काम करते हैं, अपने समुदायों की सेवा करते हैं, और भविष्य के लिए खुद को स्थिति देते हैं। यहाँ पुस्तकालयों पर एआई के प्रभाव के प्रमुख पहलुओं का टूटना है: 1.। उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और पहुंच:

व्यक्तिगत सिफारिशें: एआई एल्गोरिदम प्रासंगिक पुस्तकों, लेखों और संसाधनों का सुझाव देने के लिए उपयोगकर्ता व्यवहार, वरीयताओं और उधार इतिहास का विश्लेषण करता है, जिससे अधिक अनुरूप और आकर्षक अनुभव होता है।

बेहतर खोज और डिस्कवरी: एआई-संचालित खोज कार्यक्षमताएं कीवर्ड मिलान, समझ संदर्भ और अधिक सटीक और कुशल परिणाम प्रदान करने के इरादे से परे जाती हैं। इसमें शब्दार्थ खोज क्षमताएं और यहां तक कि ₹संवादी₹ खोज इंटरफेस भी शामिल हैं।

वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट: एआई-संचालित चैटबॉट सामान्य प्रश्नों के त्वरित उत्तर प्रदान कर सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को नेविगेट करने में सहायता कर सकते हैं, वास्तविक समय भाषा अनुवाद की पेशकश कर सकते हैं, और उपयोगकर्ताओं को संसाधनों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, अधिक जटिल कार्यों के लिए लाइब्रेरियन को मुक्त कर सकते हैं।

बढ़ी हुई पहुंच: टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट जैसे एआई टूल लाइब्रेरी संसाधनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं, जो समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। 2.। सुव्यवस्थित संचालन और दक्षता:

स्वचालित कैटलॉगिंग और मेटाडेटा प्रबंधन: एआई स्वचालित रूप से मेटाडेटा उत्पन्न कर सकता है, सामग्रियों को वर्गीकृत कर सकता है, विषय शीर्षकों को असाइन कर सकता है, और यहां तक कि ग्रंथ सूची रिकॉर्ड भी बना सकता है, मैनुअल श्रम को काफी कम कर सकता है और स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित कर सकता है।

संग्रह विकास और प्रबंधन: एआई संचलन डेटा, उपयोग पैटर्न, और रुझानों का विश्लेषण कर सकता है ताकि अधिग्रहण, प्रतिधारण और निराई के बारे में निर्णयों को सूचित किया जा सके, संसाधन आवंटन का अनुकूलन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि संग्रह उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है।

डिजिटल संरक्षण: एआई मूल्यवान संग्रह की सुरक्षा के लिए समय पर हस्तक्षेप और निवारक उपायों को सक्षम करने के लिए गिरावट के संकेतों की पहचान करने के लिए पुस्तकालय सामग्री की छवियों का विश्लेषण कर सकता है।

स्वचालित वर्कफ़्लो: एआई दोहराव वाले प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे पुस्तकालय कर्मचारी कार्यक्रम विकास, सामुदायिक जुड़ाव और गहन शोध सहायता जैसी अधिक मूल्य वर्धित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3। लाइब्रेरियन की भूमिका विकसित करना:

क्यूरेटर से ₹सूचना आर्किटेक्ट्स₹ तक: जबकि एआई नियमित कार्यों को संभालता है, लाइब्रेरियन ₹सूचना आर्किटेक्ट₹ के रूप में भूमिकाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जटिल सूचना परिदृश्य के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, विशेष संग्रह क्यूरेट कर रहे हैं, और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

नए कौशल सेट: पुस्तकालयों को एआई टूल और गाइड संरक्षक का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए डेटा विश्लेषण, एआई साक्षरता, नैतिक एआई तैनाती और उपयोगकर्ता शिक्षा में कौशल विकसित करने की आवश्यकता होगी।

मानव कनेक्शन पर ध्यान दें: एआई लेनदेन संबंधी प्रश्नों को संभालने के साथ, लाइब्रेरियन व्यक्तिगत परामर्श, जटिल अनुसंधान सहायता और पुस्तकालय के भीतर समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिक समय समर्पित कर सकते हैं।

रणनीतिक योजना और एआई नीति वकालत: लाइब्रेरियन उपयुक्त एआई उपयोग मामलों की पहचान करने, नैतिक एआई विकास की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि एआई उपकरण सूचना तक समान पहुंच के पुस्तकालय के मुख्य मिशन के साथ संरेखित हों।

4।चुनौतियां और नैतिक विचार:

एल्गोरिथम पूर्वाग्रह: एआई सिस्टम अपने प्रशिक्षण डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को विरासत में दे सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पक्षपाती खोज परिणाम या सिफारिशें हो सकती हैं। पुस्तकालयों को सक्रिय रूप से इन पूर्वाग्रहों को कम करने और निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए।

गोपनीयता चिंताएं: एआई अक्सर उपयोगकर्ता डेटा की विशाल मात्रा पर निर्भर करता है, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। पुस्तकालयों को मजबूत नीतियों, पारदर्शी डेटा उपयोग प्रथाओं और उपयोगकर्ताओं से सूचित सहमति की आवश्यकता होती है।

लागत और बुनियादी ढांचा: एआई सिस्टम को लागू करना और बनाए रखना महंगा हो सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टाफ प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। यह सीमित संसाधनों वाले पुस्तकालयों के लिए एक चुनौती हो सकती है।

डिजिटल डिवाइड: एआई पर निर्भरता मौजूदा डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकती है यदि कुछ उपयोगकर्ता समूहों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी है या सीमित डिजिटल साक्षरता कौशल है। पुस्तकालयों को एआई- संवर्धित सेवाओं के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

नौकरी विस्थापन: जबकि एआई उच्च-स्तरीय कार्यों के लिए लाइब्रेरियन को मुक्त करता है, स्वचालित प्रक्रियाओं पर भारी निर्भर भूमिकाओं के लिए संभावित नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं हैं।

मानव सहभागिता का अभाव: एआई पर निर्भरता पुस्तकालय सेवाओं के मानव तत्व को कम कर सकती है, जिसे अक्सर संरक्षक द्वारा महत्व दिया जाता है। स्वचालन और मानव निरीक्षण के बीच सही संतुलन का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।

गलत सूचना और बौद्धिक संपदा: सामग्री उत्पन्न करने की एआई की क्षमता बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए गलत सूचना और चुनौतियों के प्रसार के बारे में चिंता पैदा करती है। पुस्तकालयों को सूचना सत्यापन और जिम्मेदार सामग्री साझा करने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना होगा।एआई के साथ पुस्तकालयों का भविष्य: एआई के साथ पुस्तकालयों का भविष्य परिवर्तन और विकास में से एक है। पुस्तकालय महत्वपूर्ण सामुदायिक हब बने रहेंगे, लेकिन उनकी सेवाओं को एआई द्वारा काफी बढ़ाया जाएगा। इससे होगा:

अधिक बुद्धिमान और उत्तरदायी पुस्तकालय: पुस्तकालय अधिक अनुकूली हो जाएंगे, उपयोगकर्ता की जरूरतों का अनुमान लगाएंगे और सक्रिय सेवाएं प्रदान करेंगे।

व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण: पुस्तकालय प्रत्येक उपयोगकर्ता की अनूठी सीखने की शैली और लक्ष्यों के आधार पर संसाधनों और उपकरणों की सिफारिश करते हुए व्यक्तिगत सीखने के रास्तों के लिए केंद्रीय बन सकते हैं।

डेटा-चालित निर्णय लेना: पुस्तकालय उपयोगकर्ता के व्यवहार और संग्रह प्रदर्शन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एआई का लाभ उठाएंगे, जिससे अधिक सूचित और प्रभावी निर्णय लिया जा सकेगा। एन्हांस्ड रिसर्च सपोर्ट: एआई शोधकर्ताओं को अधिक कुशल डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा उपकरण और खोज प्लेटफार्मों के साथ सशक्त करेगा।

डिजिटल साक्षरता और नैतिक एआई पर ध्यान दें: पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं और एआई, इसकी क्षमताओं, इसकी सीमाओं और इसके नैतिक निहितार्थ के बारे में व्यापक समुदाय को शिक्षित करने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अंततः, एआई पुस्तकालयों या लाइब्रेरियन की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उन्हें अपनी पहुंच का विस्तार करने, अपनी सेवाओं को बढ़ाने और तेजी से डिजिटल दुनिया में अपरिहार्य संसाधनों को बनाए रखने के लिए सशक्त बना रहा है। कुंजी विचारशील एकीकरण, नैतिक विचारों पर ध्यान केंद्रित, और पुस्तकालय पेशे के भीतर निरंतर सीखने और अनुकूलन के लिए एक प्रतिबद्धता होगी।

समाचार से परे

विजय गर्ग

समाचार वर्तमान घटनाओं और जानकारी की रिपोर्टिंग को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि अब क्या हो रहा है, हाल की घटनाओं के तथ्यात्मक खाते वितरित करना। समाचार से परे: सूचना और सामग्री के व्यापक श्रेणियों की खोज जबकि "समाचार" विशेष रूप से वर्तमान घटनाओं को लक्षित करता है, सूचना और सामग्री की दुनिया विशाल है और इसमें बहुत अधिक शामिल है। यहां उन श्रेणियों पर एक नज़र है जो "समाचार से परे" हैं:

विश्लेषण और राय: यह केवल रिपोर्टिंग तथ्यों की तुलना में गहरा है। इसमें विशेषज्ञ कमेंट्री, संपादकीय, ऑप-एड और विश्लेषणात्मक टुकड़े शामिल हैं जो घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उनके निहितार्थ का पता लगाते हैं, और विभिन्न दृष्टिकोणों की पेशकश करते हैं। यह अक्सर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्रकाशनों में दिखाई देता है।

फ़ीचर स्टोरीज़ / लॉन्ग-फॉर्म जर्नलिज्म: समाचार के त्वरित बदलाव के विपरीत, ये लोगों, स्थानों, विचारों या रुझानों की गहराई से खोज हैं। उनमें अक्सर व्यापक अनुसंधान, साक्षात्कार और एक कथा दृष्टिकोण शामिल होता है, जो संदर्भ और मानवीय रुचि प्रदान करता है जो एक ब्रेकिंग स्टोरी से परे जाता है। आप इन्हें पत्रिकाओं, साहित्यिक पत्रकारिता प्रकाशनों और कुछ समाचार आउटलेट्स के सप्ताहांत अनुभागों में पाएंगे।

वृत्तचित्र और गैर-कथा पुस्तकें: ये प्रारूप जटिल विषयों, ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक मुद्दों में व्यापक जांच की अनुमति देते हैं। वे अक्सर अनुसंधान और उत्पादन के वर्षों को शामिल करते हैं, समृद्ध आख्यानों और विस्तृत अंतर्दृष्टि की पेशकश करते हैं।

शैक्षिक सामग्री: इस श्रेणी में पाठ्यपुस्तकें, शैक्षणिक पत्रिकाएँ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक वीडियो शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान और इतिहास से लेकर व्यावहारिक कौशल तक विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करना, कौशल सिखाना और समझ को गहरा करना है।

मनोरंजन: इस व्यापक श्रेणी में फिल्मों, टेलीविजन शो, संगीत और वीडियो गेम से लेकर उपन्यास, कविता और नाट्य प्रदर्शन तक सब कुछ शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दर्शकों को भावनात्मक या बौद्धिक रूप से, अक्सर कहानी और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से मनोरंजन, डायवर्ट और संलग्न करना है।

गाइड और ट्यूटोरियल के लिए कैसे: व्यावहारिक और अनुदेशात्मक, ये संसाधन कार्य करने, नए कौशल सीखने या प्रक्रियाओं को समझने पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे ब्लॉग, वीडियो और विशेष वेबसाइटों में ऑनलाइन प्रचलित हैं।

व्यक्तिगत कहानियां और संस्मरण: ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभव प्रदान करते हैं, अक्सर मानव प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, चुनौतियों पर काबू पाने, या विभिन्न संस्कृतियों को समझते हैं। वे आमतौर पर पुस्तकों, व्यक्तिगत निबंधों और कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्मों में पाए जाते हैं।

अनुसंधान और अकादमिक पत्र: अत्यधिक विशिष्ट, ये दस्तावेज विशिष्ट शैक्षणिक विषयों के भीतर मूल अनुसंधान निष्कर्ष, सिद्धांत और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे मुख्य रूप से विद्वानों और शोधकर्ताओं के उद्देश्य से हैं।

समीक्षा (उत्पाद, सेवाएँ, कला): ये उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने या गुणवत्ता और योग्यता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करने के लिए विभिन्न उत्पादों, सेवाओं या रचनात्मक कार्यों (जैसे फिल्में, किताबें, या रेस्तरां) का गंभीर मूल्यांकन और मूल्यांकन करते हैं।

डेटा और सांख्यिकी: कच्चे या संख्यात्मक जानकारी का विश्लेषण जो रुझानों, जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतकों और बहुत कुछ में तथ्यात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह कई क्षेत्रों में विश्लेषण और रिपोर्टिंग के अधिकांश के लिए आधार बनाता है। ये श्रेणियां प्रदर्शित करती हैं कि जानकारी समाचार की तत्काल रिपोर्टिंग से कहीं अधिक फैली हुई है, सीखने, मनोरंजन करने और दुनिया को अधिक गहराई से समझने के लिए विविध तरीके प्रदान करती है।

बचपन अब एक स्मृति होता जा रहा है

विजय गर्ग

बचपन अब एक स्मृति होता जा रहा है-समय से पहले ही बीतता हुआ। बच्चों की सुबह अलार्म पर खुलती हैं, दिन ट्यूशन और टेस्ट के बीच सिमट जाते हैं, शामें स्क्रीन पर गुजरती हैं और रातें होमवर्क और ट्यूशन वर्क के नीचे दब जाती हैं। यह दिनचर्या अब अपवाद नहीं रही-यह सामान्य हो चुकी है। एक उम्र जो पहले खेलने, उलझने और धीरे-धीरे बनने के लिए होती थी, अब वहां बनने से पहले ही तय कर लिया जाता है कि क्या बनना है। उस तयशुदा मंजिल तक पहुंचने की दौड़ बहुत पहले शुरू हो जाती है-कभी होश में, कभी अनजाने में।

आज यह मान लेना सहज हो गया है कि बच्चे 'सही' रास्ते पर हैं-वे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, भाषाएं और स्किल्स सीख रहे हैं। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक सवाल लगातार अनुत्तरित रह जाता है: क्या वे कुछ महसूस भी कर पा रहे हैं? क्या उनके पास यह जानने की जगह बची है कि उन्हें क्या पसंद है, किस बात से डर लगता है, किस दिशा में वे स्वयं को देखना चाहते हैं? या फिर यह मान लिया गया है कि नंबर लाना, दूसरों से बेहतर होना और जल्दी किसी स्थिति तक पहुंचना ही काफी है?

इस चुप्पी में जो सबसे पहले दबता है, वह है- बच्चों का स्वयं से परिचय। वे विफलता से डरते हैं, पर कह नहीं पाते। वे उम्र से बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन अपनी उम्र के छोटे-छोटे सुख भूल चुके हैं। धीरे-धीरे उनके भीतर यह भाव बनने लगता है कि अगर वे थोड़ा भी पीछे रह गए, तो घर में उनका महत्त्व कम हो जाएगा। यह भावना कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन असंख्य सूक्ष्म संकेतों से उपजती है, जो उन्हें रोज मिलते हैं-कभी तुलना से, कभी प्रशंसा की शर्तों से और कई बार सिर्फ हमारी चुप्पी से। यह चुप्पी सिर्फ घर की नहीं है। बच्चों को कई बार स्कूल भी एक प्रोजेक्ट साइट सरीखे लगते हैं जहां सीखने की जगह तो है ही, लेकिन साथ ही यहां भी प्रदर्शन के मायने ज्यादा हैं। शिक्षक भी उसी दबाव के शिकार हैं, जो हर वक्त रैंकिंग, रिपोर्ट और रिजल्ट से बंधा है। कोचिंग संस्थानों का विस्तार किसी से छिपा नहीं है। एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों से जुड़े इन्हीं 'शैक्षणिक निवेश' में लगा देता है-इस उम्मीद में कि शायद यह सफलता की गारंटी बन जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और जटिल है, जहां संसाधनों की कमी का बोझ बच्चे अपने आत्मविश्वास पर उठाते हैं। बच्चों के लिए विफलता सिर्फ एक नतीजा नहीं, पहचान का संकट बन जाती है। माता-पिता इस व्यवस्था के न तो निर्माता हैं, न ही उसका समाधान। वे स्वयं इसमें उलझे हुए सहयात्री हैं। वे अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ चाहते हैं, जो उसके सुखद और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करता हो, वह सबकुछ भी जो शायद कभी उनके पास नहीं हो पाया, या जो उनसे किन्हीं कारणों से खो अथवा छिन गया। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इरादों की यह पवित्रता भी कभी-कभी बच्चों पर असहनीय आकांक्षा का बोझ बन जाती है। यह अपेक्षा अब इतनी सामान्य हो गई है कि उसकी उपस्थिति दिखती नहीं, लेकिन हर बच्चे की धडक़नों में गूंजती है।

आज अगर कोई बात सबसे अधिक जरूरी है, तो वह है यह समझना कि बच्चे केवल नंबर नहीं, अनुभव भी हैं। वे केवल प्रदर्शन की परियोजना नहीं, एक बनती हुई संवेदना हैं। उन्हें कोई एक दिशा देने से पहले समझना होगा-वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठहराव और उलझन किसी भी यात्रा का अभिन्न अंग हैं-इन्हें विफलता की तरह नहीं, विकास की तरह देखना चाहिए। इन्हें कमजोरी की तरह नहीं, हिस्सेदारी की तरह देखा जाना चाहिए।

यह एक मौन आपातकाल है, जिसमें हर बच्चा 'ठीक है' कहता तो है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं थका हुआ है। वह सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में भी हर वक्त जांच की निगाहों में है। वक्त है चीजों को थोड़ा अलग देखने का-जहां स्कूल सिर्फ सिलेबस खत्म करने की जगह न हो, घर सिर्फ उम्मीदों से भरा एक कमरा न हो और समाज हर बार यह पूछने से पहले कि बच्चा कहां तक पहुंचा, कभी यह भी पूछे कि वह कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि सबसे आगे निकल जाने की होड़ में अगर कोई चीज सबसे पहले गिरती है, तो वह सहजता होती है और जो सबसे आखिर में चुपचाप पीछे छूट जाती है, वह होती है-बचपन।

अतिवृष्टि की बाढ़ से घिरा जनजीवन

जीवित लोग भी केवल अपने शरीर के साथ जीवित होते हैं। उनका आवास, जीवनचर्या के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं, सभी कुछ आपदा में नष्ट हो जाता है। उनके लिए जीवन में प्रत्येक आवश्यकता, सुविधा तथा वस्तु को पुन: क्रय करके संग्रहीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। शासन, समाज, सहायता प्रदान करने वाले संगठनों तथा संबंधियों द्वारा सहायता तत्काल व सुगमतापूर्वक प्रदान नहीं की जाती'

जब से ऋतुचक्र बिगड़ा है तब से वर्षा का वर्षण भी अनिश्चित हो चुका है। इसी वर्षा ऋतु से पहले चारों ओर अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ ने जनजीवन के लिए मृत्यु से लेकर अनेक अन्य संकट उत्पन्न कर दिए हैं। पंचांग तथा वार्षिक अंकपत्र के अनुसार श्रावण मास अब कुछ दिन पूर्व ही आरंभ हुआ है, किंतु अत्यधिक वर्षा के कारण देश के अधिसंख्य प्रांत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के कई प्रांतों में भी बाढ़ की स्थितियां-परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। मई के अंत से लेकर पूरे जून माह तक राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम में अनिश्चित, अनियंत्रित तथा उथल-पुथल मचाने वाली वर्षा ने जनजीवन को संकट में डाल दिया था। और अब जुलाई के पहले पंद्रह दिनों में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। अप्रैल के बाद अब सावन के आगमन तक देश में बादल फटने, बिजली गिरने तथा अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों में भी अत्यधिक वर्षा के कारण आई जलप्रलय में कई सौ लोग मारे गए हैं। नगर, उपनगर, बड़े-बड़े आवासीय क्षेत्र विशाल जलराशि में डूबे हुए हैं। लाखों-करोड़ों रुपए मूल्य की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संपत्तियां-परिसंपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं। मृतकों के परिवार वालों के सामने अन्न-जल के संकट के साथ-साथ आवास, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा की समस्याएं भी खड़ी हैं। वर्षा ऋतु के बीतने तक उनका दैनिक जीवन बहुत अधिक कष्टकारी बना रहेगा।

यह परिस्थिति प्राकृतिक प्रतिकूलताओं तथा जलवायु असंतुलन की पुनरावृत्ति के कारण गत तीस-चालीस वर्षों से हरेक वर्ष अधिक भयंकर रूप में उत्पन्न हो रही है। बाढ़ के बहते हुए पानी तथा विशाल क्षेत्र में ठहरे हुए कीचड़-गाद-गंदगी से युक्त पानी के कारण अकल्पनीय समस्याएं होती हैं। प्रकार-प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रहन-सहन, भोजन, पेयजल, आजीविका, विद्यालय, शिक्षा, काम-धंधे, व्यवसाय, नौकरी, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। अतिवृष्टि तथा बाढ़ के उपरांत निरंतर आकार लेने वाली जलजनित समस्याओं का निदान कुछ दिनों, सप्ताहों अथवा माहों में नहीं हो पाता। ऐसी समस्याएं वर्षोंवर्ष बनी रहती हैं तथा समस्याग्रस्त लोगों के जीवन को अकल्पनीय बुराइयों के अधीन करके भयंकर ढंग से असुरक्षित कर देती हैं। भारत जैसे देश में जहां भूक्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर यूरोपीय देशों के बराबर अथवा उनसे भी विशाल 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश विद्यमान हैं तथा पूरे विश्व में जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहां अतिवृष्टि की बाढ़ द्वारा सामान्य लोगों का जीवन किस सीमा तक प्रभावित होता होगा, इसका आभास बाढ़ से घिरे सामान्य लोगों के साथ रहकर ही हो सकता है। ऐसी स्थितियों-परिस्थितियों से घिरे लोगों की जीवन-असुरक्षा अत्यंत भयाक्रांत होती है। इस लेखक ने उत्तराखंड के एक जनपद मुख्यालय से कुछ दूर स्थित एक लघु उपनगर में रहते हुए निरंतर दो वर्षों तक वर्षा की अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ में अपने आवास तथा उसके चहुंओर के क्षेत्र को निरुपाय होकर केवल और केवल ईश्वर के भरोसे सुरक्षित होने की प्रार्थना करते देखा व भोगा है। ऐसी अतिवृष्टि, ऐसी बाढ़, ऐसी आपदा से प्रत्यक्ष प्रभावित लोग भाग्य के बूते ही जीवित रह पाते हैं। जिनका भाग्य निर्बल होता है, वे असुरक्षित पर्यावास के उजडऩे-बहने के कारण मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। जीवित लोग भी केवल अपने शरीर के साथ जीवित होते हैं।

उनका आवास, जीवनचर्या के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं, सभी कुछ आपदा में नष्ट हो जाता है। उनके लिए जीवन में प्रत्येक आवश्यकता, सुविधा तथा वस्तु को पुनः क्रय करके संग्रहीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। शासन, समाज, सहायता प्रदान करने वाले संगठनों तथा संबंधियों द्वारा सहायता-धनराशि एवं अन्य जीवन-सुविधाएं तत्काल व सुगमतापूर्वक प्रदान नहीं की जातीं। इन्हें प्राप्त करने के लिए भी पीड़ित व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जब पीड़ितों का जीवन चहुंओर से असुरक्षित तथा संघर्ष में व्यतीत होता है तो उनका मन अवसादग्रस्त हो जाता है। उनकी आत्मा निर्बल हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के देखे-भोगे गए संकट का प्रतिघात तथा आपदा के संकट से निकलने के बाद जीवन जीने की असुरक्षा व संघर्ष में व्यतीत होते दिनों का दुःख इतना गहन होता है कि पीड़ित व्यक्ति जीवनभर आत्मविश्वास अर्जित नहीं कर पाता। वास्तव में जलजनित आपदाओं का भौतिक तथा मानसिक आघात वही अनुभव कर सकता है, जिसने इन्हें प्रत्यक्ष भोगा हो। एक लेखक होकर भी मैं अपने साथ घटी दो अतिवृष्टिकारी घटनाओं को आज तक वर्णित नहीं कर पाया हूं। उस समयावधि में संकट का प्रभाव इतना अधिक था कि परिवार सहित मैंने भी मान लिया था कि अब मृत्यु सन्निकट है। जब मैंने देखा कि जलजले में पृथ्वी-व्योम सहित सब कुछ अतिवृष्टि के अधीन हो गया है तो समझ गया कि ऐसा होने की अवधि में कोई भी आपदा राहत दल संकट से घिरे लोगों तक पहुंच ही नहीं सकता। आपदा से घिरे होने के अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि किसी भी राहत प्रदान करने वाले दल के लिए अतिवृष्टि के समय जलजले से ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचना संभव है ही नहीं। राहत दल अपने सभी संभव उपायों एवं राहत प्रदान करने वाले कार्यों को केवल और केवल संकट से पूर्व तथा संकट के बाद ही संपन्न कर सकते हैं।

वर्षा ऋतु अर्थात सावन के माह से पहले ही देश के विभिन्न राज्यों में एक ही स्थान पर अत्यधिक वर्षण होने से स्थान-स्थान पर जो जलजन्य संकटकारी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसने प्राकृतिक असंतुलन को नवीन विकृत ढंग से प्रकट किया है। कुछ दशकों से प्रायः सभी ऋतुओं में ऋतु-विकृतियों में वृद्धि हुई है। असंतुलन की ऐसी पुनरावृत्ति के कारण विगत चालीस-पचास वर्षों में हजारों-लाखों लोग मरे हैं। अनेक लोगों की संपत्तियां-परिसंपत्तियां नष्ट हुई हैं। लोगों के जीवन का हर पक्ष, जैसे कि जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, संस्कृति, मन, आत्मविश्वास इत्यादि सभी पर भयंकर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रायः शासन पर ही देश व समाज की प्राकृतिक तथा सामाजिक, सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण का उत्तरदायित्व होता है। शासन इसलिए उत्तरदायी होता है क्योंकि उसके पास व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से अधिक साधन होते हैं, जिन्हें समस्याओं के समाधान हेतु नियोजित किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर शासन व्यक्तियों तथा नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए अपने हरसंभव साधन का उपयोग करता है, किंतु शासन, समाज और लोगों को यह विचार करना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने शासकीय साधन-संसाधन भी निरुपाय सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसी आपदाओं से सुरक्षित होने के लिए विश्व स्तर पर प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संतुलन तथा ऋतु अनुकूलन की दिशा में अपेक्षित कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विज्ञान, प्रगति, आधुनिकता तथा इन तीनों के परिणाम में प्रकट सार्वजनिक जीवन की भोगोपभोग एवं विलासी गतिविधियों पर विराम लगाने के उपाय करने होंगे।

राजस्व विभाग के दावे और किसान

एक शायर की निम्न पंक्तियां राजस्व विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था की दुखद अभिव्यक्ति हैं, और लगता है कि उसने भी जरूर व्यक्तिगत तौर पर इसके दंश झेले होंगे। 'जिस जमीन को समझते हो तुम अपनी मलकीयत मियां, महकमा माल के हाकिमों और वकीलों का मुकद्दर है वो।' हम मानते हैं कि जर, जोरू और जमीन ही हर विवाद की जड़ है। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस भी व्यक्ति का निजी जमीन से थोड़ा सा भी संबंध है, वह राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से भली प्रकार परिचित है। विभाग में अच्छे और ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी सुनता कौन है? मु_ी भर शातिर लॉबी सब पर भारी है। भू-माफिया, शातिर ग्रामीण और भ्रष्ट कर्मचारी लॉबी ने 90 फीसदी लोगों की नाक में दम कर रखा है। पुलिस और प्रशासन पर इनकी पूरी पकड़ है। ऊपर से राजनेताओं का इनके सिर पर वरदहस्त होता है। ये लोग कुछ भी करें, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्याय व्यवस्था की कछुआ चाल को देख कर उससे न्याय की अपेक्षा रखना बहुत बड़ी भूल है। दशकों से न्यायालयों में केस लंबित पड़े हैं। वकीलों के वारे-न्यारे हैं। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं है। अन्याय का प्रतिकार कुर्बानी मांगता है जो सबके वश की बात नहीं है।

फिर वह इश्तामाल हो, बंदोबस्त हो या वर्तमान मुहाल की व्यवस्था, सबने मिलकर असमर्थ लोगों का कचूमर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीड़ित लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला और न ही निकट भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद है। पता नहीं हमें क्या हो गया है। लगभग सभी का फोकस धन-दौलत बटोरने पर है। और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और यही हमारा दुर्भाग्य है। 1970 के दशक में हरसौर (बड़सर) के एक गांव में इश्तामाल की प्रक्रिया शुरू हुई। सुरा और सुंदरी के दौर में चाम के दाम चलने लगे। चार कोस तक तक मुर्गा प्रजाति लुप्त हो गई। यौन शोषण के विरुद्ध नारी शक्ति प्रचंड हो गई जिसने एक गरदावर को पीट-पीट कर मृत्यु दंड दे दिया। गनीमत यह रही कि घर जाकर जिंदगी और मौत से जूझते हुए कई दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। वास्तव में यह जन-साधारण के विद्रोह की परिणति थी। कालांतर में एक पंजाबी गरदावर की प्रतिनियुक्ति हुई। रंजिश और खुंदस के चलते वह दिवंगत गरदावर से भी आगे निकल गया क्योंकि शातिर लॉबी उसके समर्थन में खड़ी थी जिसने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। परिणति यह रही कि सीमा पर बुर्जियां संदिग्ध, रास्ते बस्तियों तक नहीं पहुंचे। वर्तमान सडक़ किसी की मलकीयत है और जो कागजों में सडक़ है, वहां किसी ने फसल बीजी है और किसी ने निर्माण कर दिया है। लगता है कई पीढियां कोर्ट में ही अपनी जिंदगी गुजार देंगी। जहां तक बंदोबस्त का सवाल है, रही सही कसर उसने निकाल दी है। करमों से मीटर बनाते समय पांच से दस मीटर की कमीबेशी साधारण सी बात है।

किसी के रकबे की चौड़ाई 11 करम से 16 मीटर की बजाय 20 मीटर कर दी गई और रकबा बढ़ जाने के डर से लंबाई की भुजाओं से 5 से 10 मीटर कम कर दिए गए। ऐसा एक नहीं, अनेक खसरा नंबरों में हुआ है। बाजार में तीन करम की चौड़ाई में बनी दुकानों को केवल चार मीटर दिए गए। पड़ोसी ने इसका लाभ उठा कर निशानदेही लेकर 22 मीटर लंबी जमीन पर कब्जा करके तीन मंजिलें खड़ी कर दी। स्थानीय पंचायत ने कहा- निशानदेही लेकर निर्माण हुआ है, इसमें अतिक्रमण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाजारों और बस्तियों में करमों के हिसाब से बने भवनों को पूर्व स्थिति के आधार पर मीटर दशमलव में लिखे जाने चाहिए, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। हैरत की बात है कि एक अदद दुरुस्ती के लिए वर्षों का समय और हजारों रुपए वकीलों की फीस लगती है। जिस बेचारे किसान की पंद्रह-बीस दुरुस्तियां बकाया हैं, उनकी दुरुस्ती के लिए उसकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। गलती एक पटवारी की और उसकी सजा व्यस्तताओं से घिरे किसान को ताउम्र भुगतनी पड़ती है। वाह री व्यवस्था। किसान की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई होगी। दुरुस्ती की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान को पता ही न चले और दुरुस्ती हो जाए। सरकारें राजस्व प्रणाली में बड़े सुधारों का ढिंढोरा पीटती हैं। लेकिन धरातल पर व्यवस्था टस से मस नहीं होती। इतने में सरकारें ही बदल जाती हैं। दशकों से तकसीम के मामले लंबित पड़े हैं। अपीलों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं। तहसील से लेकर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, बंदोबस्त अधिकारी, डिवीजनल कमिश्नर, एफसी, इसके अतिरिक्त ज्यूडीशियरी के भी हाई कोर्ट तक कई पड़ाव हैं। सामर्थ्यवान और शातिर लोग जन साधारण को उपरोक्त सभी पड़ावों तक घसीटते हुए उसका दम तोड़ देते हैं। क्योंकि 'समरथ को नांहि दोष गोसाईं।' मैंने ऊपर भी कहा कि उपरोक्त अपीलों के निपटार में वर्षों लग जाते हैं। और इस दौरान अनेक लोगों का निधन भी हो जाता है और तकसीम की गाड़ी वहीं पार्क हो जाती है। इतने में जमाबंदियां बदल जाती हैं। फिर तकसीम कैसे होगी। दफ्तरों और फील्ड में निरंतर स्टाफ की कमी के चलते दैनिक प्रक्रिया ही विभाग के गले की फांस बन गई है। फिर भूतकाल में हुई बंदोबस्त, इश्तामाल और मुहाल में हुई धांधलियों, त्रुटियों और ढेर सारी अपीलों का निपटारा कब और कैसे होगा। संप्रति सभी असमंजस में हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेरा ऐसा विश्वास है कि निकट भविष्य में किसी न किसी दिव्य विभूति का अवतरण अवश्य होगा, जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सारी की सारी व्यवस्था को बदल कर रख देगा।

झूठे मुकदमे, पक्षपाती वकील, अन्यायपूर्ण फैसले और भटकाती मीडिया पर नियंत्रण अनिवार्य

अशोक कुमार झा

हमारा देश हिंदुस्तान — एक महान सभ्यता का प्रतीक है जिसकी नींव सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय पर टिकी रही है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक जिस 'रामराज्य' की कल्पना की, वह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था थी — जहाँ राजा भी न्याय के अधीन था, कानून सबके लिए एक समान था, और हर नागरिक की गरिमा अक्षुण्ण थी। परंतु आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो लगता है कि हमने उस मार्ग से भटकाव शुरू कर दिया है।

आज समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ बेकसूर व्यक्ति को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, पक्षपाती वकील उन्हें न्याय से दूर ले जाते हैं, न्यायपालिका की कुछ इकाइयाँ राजनीतिक या निजी प्रभाव में आकर नाइंसाफी करती हैं, और मीडिया टीआरपी व एजेंडे के लिए झूठी कहानियों को गढ़ती है। इस तंत्र में यदि कहीं सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है, तो वह होती है – सत्य की, और उस आम नागरिक की जो न्याय की आस लिए सिस्टम के सामने खड़ा होता है।

1. झूठे मुकदमेः कानून का सबसे अमानवीय उपयोग

आज देश में हज़ारों ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं जो झूठे आरोपों पर आधारित होते हैं। कई बार राजनीतिक प्रतिशोध, पारिवारिक दुश्मनी, जमीनी विवाद या निजी ईर्ष्या के चलते निर्दोष लोगों पर IPC की गंभीर धाराएं लगाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है।

एक बार किसी व्यक्ति पर हत्या, बलात्कार, देशद्रोह या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग जाएं, तो चाहे वह अंततः बरी भी क्यों न हो जाए, समाज में उसकी छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाती है। जेल की यातना, समाज की नजरें, परिवार की पीड़ा — ये सभी किसी व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ देती हैं। क्या यह भी एक तरह का 'मृत्युदंड' नहीं है?

समाधानः झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। जब तक आरोप लगाने वाले को भी गलत सिद्ध होने पर समान सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक यह प्रवृत्ति नहीं रुकेगी।

2. वकीलों की भूमिकाः न्याय का रक्षक या मोहरा?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में यह निर्देश दिया गया है कि न्याय तक पहुँच सभी को समान रूप से मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो वकालत अब एक व्यवसाय बन गई है, सेवा नहीं।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ वकील जानबूझकर झूठे गवाह खड़े करते हैं, सबूतों को तोड़-मरोड़ कर अदालत को गुमराह करते हैं, और मुकदमे को वर्षों तक लटकाए रखते हैं — सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए। जब वकील खुद ही झूठ को सच साबित करने में माहिर हो जाएं, तो फिर न्याय की उम्मीद कहाँ से करें?

समाधानः वकीलों की आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना और झूठे गवाह या सबूत प्रस्तुत करने पर बार काउंसिल द्वारा लाइसेंस निलंबन जैसे दंड अनिवार्य किया जाना चाहिए।

3. न्यायपालिकाः जब 'देरी' भी अन्याय बन जाती है

'न्याय में देरी, न्याय से वंचना के समान है' — यह कहावत भारत में एक कटु सत्य बन चुकी है। आज देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, और इनमें से लाखों ऐसे हैं जो 10–20 वर्षों से चल रहे हैं। कई मामलों में न्यायाधीशों की व्यक्तिगत सोच, सामाजिक पक्षपात, या राजनीतिक दबाव भी निर्णय को प्रभावित करता है।

हम मानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, और जवाबदेही एक संवेदनशील विषय है, पर जब कोई जज खुलेआम 'सहानुभूति' के आधार पर अपराधी को राहत देता है, तो यह न केवल पीड़ित के साथ अन्याय है, बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था की आत्मा को कलंकित करता है।

समाधानः न्यायपालिका में पारदर्शिता और 'जजों की जवाबदेही कानून' लाना समय की मांग है। साथ ही, झूठे या पक्षपाती निर्णयों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।

4. मीडियाः जब सत्य का प्रहरी, झूठ का व्यापारी बन जाए

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसका कर्तव्य है – सत्य को सामने लाना, जनता को सूचित करना और व्यवस्था को आईना दिखाना। परंतु वर्तमान दौर में ₹ट्रायल बाय मीडिया₹, ₹ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़₹, और ₹एजेंडा आधारित रिपोर्टिंग₹ ने पत्रकारिता को गंभीर संकट में डाल दिया है।

कई चैनल और पोर्टल टीआरपी के लिए झूठी खबरें चलाते हैं, अधूरी जानकारी को सनसनी बना देते हैं, और निर्दोष व्यक्ति को मीडिया ट्रायल में अपराधी साबित कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, बल्कि उसकी न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है।

समाधानः फेक न्यूज़ फैलाने, तथ्यहीन रिपोर्टिंग और कोर्ट केस पर टिप्पणी करने वाले पत्रकारों और संस्थानों पर मानहानि और दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को संवैधानिक अधिकार देकर जवाबदेही तय करनी चाहिए।

5. जनता की भूमिकाः अंधविश्वास नहीं, विवेक जरूरी

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम, देश के नागरिक, अंध-आस्थावान नहीं, विवेकशील बनें। हर आरोप को तुरंत सच मान लेना, हर मीडिया रिपोर्ट को अंतिम सत्य समझ लेना, और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी को वायरल करना — यह स्वयं हम न्याय के रास्ते में रोड़ा बनते हैं।

हमें यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना न्यायालय का अधिकार है, जनता का नहीं। जब तक कोर्ट कोई फैसला न दे, तब तक किसी को भी अपराधी कहना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

6. रामराज्य की कल्पनाः आधुनिक व्यवस्था में उसकी प्रासंगिकता

रामराज्य का अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जहाँ —

शासक खुद नियमों का पालन करता है

अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दंड मिलता है

और आम नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित होता है

हमारे संविधान ने भी ऐसी ही व्यवस्था का सपना देखा था — लेकिन जब पुलिस पक्षपाती हो जाए, वकील बिक जाएं, जज डर जाएं, और मीडिया भटका दे — तब आम नागरिक के लिए न्याय सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाता है।

रामराज्य की वापसी तभी संभव है जब—

झूठे मुकदमे दर्ज करने पर FIR कर्ता को भी सजा मिले

झूठ बोलने वाले वकील का लाइसेंस रद्द हो

पक्षपात करने वाले जज की जांच हो

और झूठी खबर चलाने वाले मीडिया संस्थानों पर जुर्माना और प्रतिबंध लगे

7. संविधान की आत्मा और संस्थानों की भूमिका

भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की थी, जिसमें सत्ता के तीनों स्तंभ – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह हों। मीडिया को अनौपचारिक 'चौथा स्तंभ' माना गया, जो सत्ता और समाज के बीच पुल का काम करता है। लेकिन जब इन संस्थानों में से कोई भी अपना धर्म छोड़ दे — तो सबसे पहला और सबसे गहरा आघात न्याय पर होता है।

विधायिका जब कानूनों को इस तरह से बनाए कि वो आम आदमी से ज़्यादा राजनीतिक लाभ को साधे।

कार्यपालिका जब पुलिस और प्रशासन को सत्ता के इशारे पर चलाए।

न्यायपालिका जब फैसलों में जनता की बजाय उच्च वर्ग या सरकार को प्राथमिकता दे।

मीडिया जब निष्पक्षता छोड़कर एजेंडा और लाभ की भाषा बोले।

तब संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) — केवल कागज़ों में सिमट जाते हैं।

समाज और व्यवस्था दोनों को बचाने के लिए यह ज़रूरी है कि इन संस्थानों को एक बार फिर संविधान की मूल भावना से जोड़ा जाए।

8. गलत परंपराओं का अंत – एक न्यायिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता

आज आवश्यकता है ₹न्यायिक सुधार आंदोलन₹ की — जो न केवल जनता को शिक्षित करे बल्कि व्यवस्था को जगाए। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख बिंदु होने चाहिएः

FIR को जांच योग्य बनाने की प्रणालीः कोई भी FIR सीधे दर्ज न हो, पहले प्राथमिक जांच हो।

जमानत प्रक्रिया का मानकीकरणः आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखकर जमानत मिले, न कि रसूख देखकर।

फास्ट ट्रैक कोर्टः झूठे मुकदमों की जांच के लिए विशेष अदालतें जो 6 महीने में निर्णय दें।

पुलिस सुधार आयोगः जिसमें नागरिकों और न्यायाधीशों की भागीदारी हो।

मीडिया निगरानी प्राधिकरणः जो टीआरपी नहीं, सत्य की प्राथमिकता देखे।

जब तक यह सुधार नहीं होते, तब तक न्याय एक सपना रहेगा और झूठ एक व्यवसाय।

9. झूठ की कीमत – सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक और मानवीय भी है

हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि झूठे केस केवल अदालतों में नहीं लड़े जाते, वे मन, समाज और परिवार में लड़े जाते हैं। एक निर्दोष पर आरोप लगने के बादः उसके बच्चों को स्कूल में ताना झेलना पड़ता है

परिवार के रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं

समाज उसे अपराधी मान लेता है, भले कोर्ट ने उसे बरी कर दिया हो

उसकी रोज़गार की संभावना समाप्त हो जाती है

उसका आत्मविश्वास, उसकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है

यह 'सामाजिक सज़ा' कई बार कानूनी सज़ा से भी ज़्यादा घातक होती है। इसका जवाबदेह कौन है?

10. रामराज्य – भावनात्मक आदर्श नहीं, व्यवहारिक आवश्यकता

कुछ लोग रामराज्य को केवल धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, परंतु वास्तव में वह सुशासन, पारदर्शिता, और संवेदनशील प्रशासन का नाम है।

रामराज्य में राजा (शासक) सबसे पहले स्वयं को कानून के अधीन मानता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण का वनवास, या राम द्वारा स्वयं गद्दी छोड़ना — यह सब इस बात का प्रतीक है कि ₹न्याय पहले, व्यक्ति बाद में।

आज यदि हमारा नेता या अधिकारी केवल दिखावे के लिए न्याय की बात करे, लेकिन व्यवहार में कानून को तोड़े — तो यह लोकतंत्र का अपमान है।

रामराज्य की भावना में यह स्पष्ट था कि – जनता की पीड़ा ही शासन की प्राथमिकता है। आज उस भावना की वापसी की आवश्यकता है, केवल भाषणों में नहीं, नीति और व्यवहार में।

11. नया नागरिक संकल्प – सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी बदले

सभी दोष व्यवस्था के सिर मढ़ देने से भी हम बच नहीं सकते। आज जरूरत हैः

नागरिकों के सचेत होने की

युवाओं के कानूनी जानकारी से लैस होने की

महिलाओं और बुजुर्गों की न्याय प्रणाली तक आसान पहुँच की

सामाजिक संगठनों द्वारा फर्जी मुकदमों के खिलाफ जनजागरण की

यह मत भूलिए – जिस समाज में झूठ बोलने वाला सुरक्षित महसूस करता है, वहां सत्य बोलने वाला डरता है। हमें इस संतुलन को उलट देना होगा।

12. अंततः – हम किस ओर जा रहे हैं? और कौन हमें बचाएगा?

जब हम एक ऐसे देश में पहुँच जाते हैं जहाँः

दोषी खुलेआम सत्ता की गोद में बैठता है

निर्दोष वर्षों जेल में सड़ता है

न्याय विज्ञापन बन चुका होता है

और मीडिया झूठ को खबर बना देता है

तो फिर यह सवाल उठना लाजिमी है — ₹क्या आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम सच के लिए आजाद हैं?"

हमें अपनी आत्मा से पूछना होगा — क्या यही वो हिंदुस्तान है, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी चूमी? क्या यही वो समाज है जिसकी कल्पना गांधी, अंबेडकर और विवेकानंद ने की थी?

अगर जवाब 'नहीं' है, तो इस परिवर्तन की शुरुआत आज से और खुद से होनी चाहिए।

लोकतंत्र के चारों स्तंभों की जवाबदेही अनिवार्य क्यों है?

हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब यह है कि सत्ता जनता से निकलती है, जनता के लिए काम करती है और जनता को ही जवाबदेह होती है। लेकिन जब लोकतंत्र के ये चार स्तंभ—कार्यपालिका (पुलिस और प्रशासन), विधायिका (नेता और संसद), न्यायपालिका (न्यायाधीश और न्यायालय) और मीडिया (प्रेस)—अपने मार्ग से भटकते हैं, तो आम जनता को सबसे अधिक कष्ट होता है। न्याय की तलाश में दर-दर भटकने वाला आम नागरिक यह सोचने को विवश हो जाता है कि क्या उसका देश वाकई ₹सच्चे लोकतंत्र₹ की राह पर है?

1. पुलिस तंत्र की भूमिका और उसका दुरुपयोग

आज भी हमारे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो झूठे केसों में फंसाए जाते हैं। कभी जातिगत द्वेष के कारण, कभी राजनीतिक साजिश के तहत, तो कभी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर। पुलिस द्वारा बिना जांच-पड़ताल के किसी निर्दोष को हिरासत में लेना और उसका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण करना भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक काला धब्बा है।

झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों में ऐसे मामले बार-बार सामने आते हैं जहाँ पुलिस या तो भ्रष्टाचार के कारण झूठे केस बनाती है या फिर दबाव में आकर। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब यही पुलिस राजनीतिक नेताओं के हाथों की कठपुतली बन जाती है।

2. वकील – न्याय का वाहक या पक्षपाती दलाल?

भारतीय न्यायव्यवस्था में वकीलों को न्याय का सैनिक कहा जाता है। परंतु जब ये सैनिक न्याय नहीं, सिर्फ पैसा देखने लगें—तब समाज का पतन शुरू हो जाता है। झूठे केस को जानबूझकर लंबा खींचना, झूठे गवाह तैयार करना, और निर्दोष को फँसाकर आरोप सिद्ध कराना, यह सब वकालत के पेशे को कलंकित करता है।

न्याय का मतलब सच्चाई का साथ देना है, न कि फीस के हिसाब से पक्ष चुनना। जब तक हमारे वकील पेशेवर ईमानदारी नहीं बरतेंगे, तब तक कोई भी न्यायिक व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती।

3. न्यायपालिका – जब जज भी नाइंसाफी करें

हमारे संविधान में न्यायपालिका को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। लेकिन जब वही जज—जो संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं—पक्षपात करते हैं, तब आम नागरिक का भरोसा टूटता है।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ गरीब और कमजोर लोगों को न्याय के नाम पर सालों तक तारीख़ पे तारीख़ मिलती रही, लेकिन अमीर और रसूखदार लोग कानून से बच निकलते हैं। ज़मानत की सुविधा, फैसले में देरी, गवाहों को धमकाना या खरीदना, और ट्रायल में पक्षपात – ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे कभी-कभी न्यायिक व्यवस्था भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ जाती है।

हम यह नहीं कह सकते कि पूरे न्यायिक तंत्र में गड़बड़ी है, लेकिन यह ज़रूर सच है कि अगर कोई जज न्याय न करके राजनीतिक या जातीय सोच से प्रभावित होकर फैसला देता है, तो वह हमारे संविधान के साथ विश्वासघात करता है।

4. मीडिया – जब चौथा स्तंभ गिर जाए

किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका प्रहरी की होती है। लेकिन जब मीडिया TRP और चाटुकारिता के दलदल में धँस जाए, तो वह समाज में ज़हर घोलने का काम करती है।

आज के समय में, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों और शक्तिशाली व्यक्तियों का ₹PR टूल₹ बन चुका है। वे झूठी खबरें फैलाकर जनमत को भ्रमित करते हैं, निर्दोषों की छवि खराब करते हैं, और असली मुद्दों को ढँक देते हैं।

2015 से लेकर अब तक कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ मीडिया ट्रायल के जरिए बिना किसी न्यायिक फैसले के लोगों को दोषी साबित कर दिया गया। ऐसा माहौल बन जाता है कि जब असल सच्चाई सामने आती है, तब तक व्यक्ति की सामाजिक हत्या हो चुकी होती है।

क्या यही रामराज्य है जिसकी कल्पना गांधी और हमारे ऋषियों ने की थी?

रामराज्य एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जहाँ न्याय सर्वोपरि हो, राजा (नेता) प्रजा के लिए समर्पित हो, और समाज में धर्म (कर्तव्य) के अनुसार आचरण हो। महात्मा गांधी ने भी रामराज्य की कल्पना एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में की थी जहाँ सबको समान अधिकार और न्याय मिले।

लेकिन आज हम कहाँ हैं?

यहाँ पुलिस पैसे लेकर केस बनाती है,

वकील झूठ को सच बना देते हैं,

जज पक्षपात करते हैं,

और मीडिया सच्चाई को दबाकर टीआरपी बेचती है।

क्या यही है रामराज्य?

आगे का रास्ता – समाधान क्या है?

इस अंधकार को उजाले में बदलने के लिए हमें कुछ कठोर, लेकिन आवश्यक कदम उठाने होंगेः

1. पुलिस सुधार

FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता,

CCTV अनिवार्य रूप से थानों में,

झूठे केस बनाने वाले पुलिस कर्मियों के लिए कड़ी सजा।

2. वकालत में नैतिकता

झूठे केस लड़ने वाले वकीलों की बार काउंसिल से सदस्यता रद्द हो,

न्यायिक ट्रेनिंग में नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए।

3. न्यायिक जवाबदेही विधेयक

न्यायाधीशों के फैसलों पर समीक्षा की व्यवस्था,

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई।

4. मीडिया रेगुलेशन और जवाबदेही

फेक न्यूज़ चलाने वाले चैनलों पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया,

पत्रकारों के लिए आचार संहिता और उसका कड़ाई से पालन।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बदलाव जनता से शुरू होता है। जब जनता सच को पहचानेगी, सच्चाई के लिए आवाज उठाएगी, और लोकतंत्र के हर स्तंभ से जवाबदेही मांगेगी—तब ही यह देश उस मार्ग पर बढ़ेगा, जिसकी कल्पना रामराज्य के रूप में की गई थी।

हमें याद रखना होगा, न्याय अगर बिकता है, तो देश की आत्मा मरती है। और जब देश की आत्मा मर जाए, तो कोई भी विकास, कोई भी तकनीक, कोई भी कानून — उस समाज को बचा नहीं सकता।

रामराज्य कोई असंभव आदर्श नहीं, बल्कि वह प्रेरणा है — जो हमें हर गलत के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। जब तक झूठ को संस्थागत रूप से दंड नहीं मिलेगा, तब तक रामराज्य केवल स्मृति रहेगा, सच्चाई नहीं।

जो देश न्याय को पैसे और प्रभाव से तोलने लगे, वहाँ आम लोगों के लिये न्याय हासिल करना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। परन्तु हमें इसे बदलना होगा, हर हाल में बदलना होगा। हमें देश की आजादी के लिये ख़ुशी ख़ुशी फांसी पर लटकने वाले अपने पूर्वजों के बलिदान को निरर्थक होने से बचाना होगा।

रामराज्य सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है — जिसे हम सब मिलकर पाने के लिये हमें आज फिर वह क्रांति जलानी होगी, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारे लिये छोड़ गये थे। तभी हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सच्चे अर्थों में शांति मिल पायेगी और देश के लिये उनका त्याग और बलिदान सार्थक कहला पायेगा।

भक्त दास के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर राजधानी में लगे हैं, इन्हें किसने लगाया?

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर: राजधानी भूबनेश्वर में एक पोस्टर लगा है जिसमें राहुल गांधी के साथ उदित प्रधान की तस्वीर है। पोस्टर के एक फ्रेम में दो अपराधी लिखा है। एक देशद्रोही और दूसरा बदमाश, भक्त दास इस्तीफा दें। राजधानी में कई जगहों पर ऐसा पोस्टर लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये पोस्टर किसने लगाया? महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर राज्य में जहाँ राजनीति गरमा गई है, वहीं ऐसे पोस्टरों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

पूर्व छात्र कांग्रेस अध्यक्ष उदित प्रधान को एक युवती से बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद उन्हें छात्र अध्यक्ष पद से तत्काल निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने घटना की सच्चाई जानने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। भाजपा ने इस घटना को लेकर कांग्रेस को घेरा है। एफएम छात्रा की आत्महत्या के मुद्दे पर कांग्रेस ने 17 तारीख को ओडिशा बंद का आह्वान किया था। और अब, कांग्रेस छात्र नेता के खुद एक युवती से बलात्कार के मामले में फंसने के बाद, इस पर राजनीति तेज़ हो गई है।

जगतसिंहपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कारः खून से लथपथ नाबालिग लड़की को बचाया गया

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर: राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जगतसिंहपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कल शाम अपने दादा के घर गई एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी देर बाद नाबालिग लड़की को उसके परिजनों ने खून से लथपथ हालत में गाँव से निकाला। बाद में उसे जगतसिंहपुर मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने जगतसिंहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि दो युवक उसे उठाकर ले गए थे।

इसके बाद थाने में पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया। कल पूरी रात तलाशी अभियान चलाया गया। जगतसिंहपुर पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गईं और जिले में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। एसपी द्वारा दोनों की पहचान करने के बाद, उनमें से एक को कटक के कसारदा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह एक वैज्ञानिक टीम और पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। वैज्ञानिक टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण सामान जब्त किया है। पीड़िता का फिलहाल जगतसिंहपुर जिला मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

वो जो जीए भी आज़ाद, मरे भी आज़ाद — चंद्रशेखर आज़ाद का अमर यथार्थ

[जिसने अपने नाम से भी गुलामी को नकार दिया – चंद्रशेखर आज़ाद]

वो आग थे, जो ज़ुल्म की बेड़ियों को पिघलाने चली थी। वो तूफान थे, जो साम्राज्य की नींव हिलाने को बेताब था। वो चंद्रशेखर आजाद थे—एक नाम नहीं, एक विचार, एक ललकार, जो आज भी हर उस दिल में गूंजता है जो स्वतंत्रता की कीमत समझता है। उनकी जयंती पर जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं, तो यह महज एक स्मरण नहीं, बल्कि एक संकल्प है—अन्याय के खिलाफ लड़ने का, आजादी को जीने का, और देश के लिए जी-जान से समर्पित होने का।

23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा (वर्तमान आजाद नगर) में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का जीवन स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंडित सीताराम तिवारी और जागरानी देवी के पुत्र के रूप में जन्मे इस बालक के मन में बचपन से ही देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने उनके कोमल हृदय को झकझोर दिया। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह का बीज बो दिया। यह वह समय था जब उनके मन में एक ही संकल्प था—भारत को स्वतंत्र करना, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े।

1921 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने बनारस की सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी गिरफ्तारी हुई, और जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा, तो जवाब में गूंजा, नाम- आजाद, पिता का नाम- स्वतंत्रता, पता- जेल। यह जवाब केवल एक किशोर की हिम्मत नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतना का उद्घोष था जो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने को तैयार थी। इस जवाब ने न केवल अंग्रेजों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यह युवा अपने नाम की तरह ही आजाद था—न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आत्मा से भी।

1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से जहां कई लोग निराश हुए, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) को मजबूती दी। 1928 में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका लक्ष्य था न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जो समानता और न्याय पर आधारित हो। आजाद ने इस संगठन को अपनी रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

1925 का काकोरी कांड उनकी क्रांतिकारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना में एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। यह लूट केवल धन की चोरी नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार था। इस धन का उपयोग हथियार खरीदने, संगठन को मजबूत करने, और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया। हालांकि, इस घटना के बाद बिस्मिल, अशफाक, और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी चतुराई और साहस के बल पर पुलिस की पकड़ से बच निकले। उनकी यह क्षमता उन्हें ब्रिटिश शासन के लिए एक रहस्यमयी और अजेय शख्सियत बनाती थी।

1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु ने आजाद और उनके साथियों को गहरा आघात पहुंचाया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई थी। इसके प्रतिशोध में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु, और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सांडर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को इस योजना को अंजाम दिया गया, जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने एचएसआरए को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया और आजाद की नेतृत्व क्षमता को और भी उजागर किया।

चंद्रशेखर आजाद का जीवन सादगी, अनुशासन, और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत सुखों की परवाह नहीं की। न विवाह किया, न परिवार बसाया; उनका एकमात्र परिवार था—उनका देश, और एकमात्र लक्ष्य था—स्वतंत्रता। वे विभिन्न भेषों में—कभी साधु, कभी विद्यार्थी, तो कभी मजदूर—देशभर में घूमते और क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करते। उनकी नेतृत्व क्षमता इतनी प्रबल थी कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी उनकी रणनीतियों और साहस से गहरे प्रभावित थे। उनकी हर सांस, हर कदम, और हर विचार देश की आजादी के लिए समर्पित था।

उनकी शहादत की कहानी उनके जीवन जितनी ही प्रेरक है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आजाद पार्क) में एक गद्दार की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही दर्जनों पुलिसकर्मियों से लोहा लिया। अपनी पिस्तौल से उन्होंने अंत तक गोलीबारी की, और जब केवल एक गोली बची और घेरा तंग हो गया, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई— "मैं जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा।" उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मारकर अपनी आजादी को अक्षुण्ण रखा। उनकी शहादत ने न केवल उनके साथियों, बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को और प्रज्वलित कर दिया।

चंद्रशेखर आजाद का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी; यह एक ऐसी चेतना का प्रतीक था जो आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित है। उनकी जयंती, 23 जुलाई, हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी थी और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आजाद ने हमें सिखाया कि क्रांति केवल हथियार उठाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचार है—अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, दमन के सामने न झुकने का, और अपने देश के लिए हर संभव बलिदान देने का।

आज, जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो यह आजादी उन जैसे बलिदानियों की देन है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आजादी केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मन और आत्मा की स्वतंत्रता है। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। उनके साहस, उनकी दृढ़ता, और उनके समर्पण को अपनाकर ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

चंद्रशेखर आजाद की गूंज आज भी हमारे बीच है। उनकी ललकार हर उस हृदय में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। उनकी आवाज आज भी कहती है— "मैं आजाद था, आजाद हूँ, और आजाद रहूँगा!" यह आवाज हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा जागरूक और समर्पित रहें। उनकी जयंती पर यह प्रण लेना होगा कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी क्रांति की लौ को हम अपने कर्मों और विचारों से जीवित रखेंगे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

चंद्रशेखर बनाम 'आजाद' उर्फ 'पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी'

विवेक रंजन श्रीवास्तव

अमर स्व बलिदानी स्वतंत्रता के रण बांकुरे चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाबरा गाँव में हुआ था। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु अब उनके गांव को आजादनगर नाम से जाना जाता है।

पिता पंडित सीताराम तिवारी के स्वाभिमान और माता जगरानी देवी के संस्कारों ने किशोर चंद्र शेखर को बचपन से ही देशभक्ति की अदम्य भावना से भर दिया। भील बालकों के साथ बिताए बचपन ने उनमें धनुर्विद्या और निशानेबाजी का कौशल विकसित किया, जो भविष्य में उनके क्रांतिकारी जीवन का आधार बना। बनारस संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई के दौरान 1919 के जलियाँवाला बाग नरसंहार ने उनके मन में ब्रिटिश विरोध की अग्नि प्रज्वलित की। इसी समय उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों को ₹ईंट का जवाब पत्थर से₹ देना होगा।

1920 में गांधीजी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने पर मात्र 15 वर्ष की आयु में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया ₹मेरा नाम 'आज़ाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और निवास 'जेल' है।₹ इस उत्तर से क्रुद्ध होकर जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े के वार के साथ उनके मुख से ₹वन्दे मातरम !₹ और ₹महात्मा गांधी की जय !₹ के उद्घोष गूँजे। सजा के बाद उन्हें तीन आने दिए गए, जिन्हें उन्होंने जेलर के मुँह पर फेंक दिया। इसी घटना ने 'तिवारी' को सदैव केलिए 'आजाद' बना दिया। 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद जब गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो आजाद का अहिंसा से मोहभंग हो गया। उन्होंने बनारस में क्रांतिकारी संगठन 'हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ' (बाद में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन) से जुड़कर सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना।

रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देकर उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जा सके। इस घटना में एक यात्री की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे हत्या बताया। बिस्मिल और अशफाक उल्ला खाँ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आजाद पुलिस की आँखों में धूल झोंककर फरार हो गए। 1928 में लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर को लाहौर में पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को गोलियों से भून डाला। इस कार्रवाई ने समूचे भारत में क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाया। आजाद ने ही संगठन का नाम बदलकर ₹हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन₹ (HSRA) रखा और रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर भारत में समाजवादी क्रांति का आह्वान किया।

27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुखबिर ने उनके वहां होने की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला और अकेले ही सैनिकों का सामना किया। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए अंतिम गोली खुद को मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सकें। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ने उनकी अस्थियों की राख को ताबीज की तरह सँजोया, जो उनकी जनता के दिलों में बसी अमर छवि का प्रमाण था। आज भी उनकी पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है, जो उस अग्निकाल की गवाह बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह अमर गाथा है जिसमें एक युवा क्रांतिकारी ने अपनी प्रतिज्ञा, साहस और बलिदान से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका अंतिम संदेश था ₹एक बलशाली सौ विद्वानों को कंपा देता है₹। आज भी युवाओं में देशप्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करने में उनका जीवन प्रेरणा है।

उनकी प्रेरक जीवनी पर डॉक्यूमेंट्री के सिवाय, 1963 में जगदीश गौतम निर्देशित, इंदिरा बंसल, पैदी जैराज जैसे कलाकारों के साथ फिल्म चन्द्र शेखर आजाद बनी थी।

उसके बाद 1965 में शहीद बनी। मनोज कुमार की इस फिल्म में आज़ाद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम ₹मनमोहन₹ था।

चंद्रशेखर आज़ाद पर अब तक बहुत सी फिल्में और सीरियल बने हैं, जिनमें से हीरो ऑफ नेशन चन्द्र शेखर आजाद (2022) और ₹शहीद" (2002) जैसी हाल की और लोकप्रिय फिल्में भी हैं।

अपने सिद्धांत, देश प्रेम और बलिदान के कारण चंद्र शेखर आजाद हर भारतवासी के मन में हमेशा अमर बने रहेंगे।

शिक्षा का भगवाकरण या शुद्धिकरण

राजेश कुमार पासी

एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम के अनुसार नई किताबें जारी कर रहा है। उसने कई कक्षाओं के लिए किताबें जारी कर दी हैं और इसी क्रम ने उसने कक्षा आठ के लिए सामाजिक विज्ञान भाग-एक की किताब जारी की है। जब से एनसीईआरटी ने अपनी सामाजिक विज्ञान की इस किताब में इतिहास को लेकर कुछ बदलाव किया है तब से यह शोर मचाया जा रहा है कि एनसीईआरटी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। वास्तव में एनसीईआरटी ने इस किताब में सल्तनत काल और मुगल काल में हुए अत्याचारों की बात की है। किसी भी दल या बुद्धिजीवी ने किताब में दिए गए तथ्यों पर सवाल नहीं उठाया है बल्कि सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। यह विमर्श चलाया जा रहा है कि मोदी सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान बच्चों को सच्चाई से दूर रखा गया है। सरकार चाहती है कि देश के विद्यार्थी इतिहास का सच जाने जो उनसे अभी तक छुपाया गया था। देखा जाए तो विपक्ष को मोदी सरकार के हर काम का विरोध करना जरूरी लगता है इसलिए इस काम का भी विरोध किया जा रहा है। मुख्य रूप से विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मुगलो को बदनाम करने की सरकार द्वारा साजिश की जा रही है। विपक्ष यह कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार के इस काम के कारण हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे को खतरा पैदा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या झूठे इतिहास के सहारे इस भाईचारे को कायम रखने की कोशिश की जा रही है या सच को छुपाने से यह भाईचारा बना रहेगा। मुझे कभी-कभी यह समझ नहीं आता है कि विपक्ष को छोटी-छोटी बातों से हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे के बिगड़ने का डर क्यों सताने लगता है। सवाल यह है कि इतिहास का सच बताने से क्या हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा खत्म हो सकता है।

देखा जाए तो मोदी सरकार कुछ नया नहीं बताने जा रही है। जो कुछ एनसीईआरटी ने अपनी किताब में शामिल किया है उसे इतिहास के वो विद्यार्थी जानते हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद इतिहास को पढ़ा है। भाजपा के कुछ नेताओं और समर्थको द्वारा यह कहा जा रहा है कि नेहरू सरकार से लेकर जो कुछ अभी तक एनसीईआरटी द्वारा पढ़ाया जा रहा था उसमें मुग़लों के बारे में झूठ बताया जा रहा था। वास्तव में यह पूरी तरह से गलत है कि पहले झूठ बोला जा रहा था और जो अब शामिल किया गया है वही सच है। वास्तव में सच बताया नहीं गया था क्योंकि सरकार को लगता था कि छोटे बच्चों को ये सच बताना सही नहीं है। अगर अकबर की बात करें तो मैट्रिक के बाद बच्चे वो पढ़ते थे जो आज एनसीईआरटी द्वारा अपनी किताब में बताया गया है। अकबर ने चितौड़ पर विजय हासिल करने के बाद लगभग तीस हजार हिंदुओं की हत्या करके उनकी खोपड़ियों का मीनार बनाया था। इस ऐतिहासिक सच को इतिहास के स्नातक करने वाले विद्यार्थी जानते थे लेकिन मैट्रिक तक पढ़ने वाले बच्चे नहीं जानते थे। सवाल यह पैदा होता है कि इस सच को छुपाने की जरूरत क्या थी बल्कि इस सच को छुपाकर तो अकबर के साथ अन्याय किया गया है। इस घटना को न जानने वाला कैसे जान सकता है कि अकबर में कितना बड़ा बदलाव आया था। क्या सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्याएं नहीं की थी। निर्दोष लोगों की हत्या के बाद सम्राट अशोक में मानवता जाग गई और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया इसलिए अशोक महान कहलाये। सवाल यह है कि इन दोनों राजाओं को देखने का नजरिया क्या है। वास्तव में महान अशोक की तुलना अकबर से नहीं की जा सकती क्योंकि अशोक ने निर्दोष जनता की हत्या नहीं की थी जबकि अकबर ने जीत के बाद आम जनता का नरसंहार किया था जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दूसरी तरफ कलिंग युद्ध में जो लोग मारे गए वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे न कि युद्ध जीतने के बाद मारे गए थे।

एक सच यह भी है कि अकबर ने सहनशीलता का सिद्धांत इसलिए अपनाया क्योंकि वो जान गया था कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हिन्दुओं को साथ लेकर चलना होगा अन्यथा मुगल शासन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। उसने जो नीति अपनाई, वो उसकी राजनीति का हिस्सा था न कि उसमें मानवता जाग गई थी और वो हिन्दुओं से प्रेम करने लगा था। सम्राट अशोक में मानवता जाग गई थी इसलिए उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और अपनी सेना की संख्या में भी भारी कमी कर दी। कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सेना सिर्फ रक्षा के काम तक सीमित हो गई थी और साम्राज्य का विस्तार बंद कर दिया गया था। अकबर पूरी जिंदगी युद्ध करता रहा और मुगल साम्राज्य का विस्तार करता रहा।

जहां तक अकबर की सहनशीलता की नीति का सवाल है तो वो बहुत सफल रही थी जिसके कारण औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य बिना किसी बाधा के चलता रहा लेकिन जब औरंगजेब ने इस नीति का त्याग करके हिन्दुओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया तो उसकी मौत तक मुगल साम्राज्य का लगभग पतन हो गया था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास सीमित हो गया था। इस किताब में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा इस किताब में 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का भारत का इतिहास बताया गया है। इसमें मुगल काल और सल्तनत काल के दौरान भारत के प्रतिरोध के बारे में भी बताया गया है। इसमें सिक्खों के उत्थान के बारे में भी बताया गया है। इस किताब में इस काल के दौरान मंदिरों पर हमले और शासकों की क्रूरता का वर्णन किया गया है। पहले इस काल के बारे में सातवीं कक्षा में पढ़ाया जाता था लेकिन इन शासकों के अत्याचारों का वर्णन नहीं था। इस किताब में बताया गया है कि खिलजी वंश के शासन काल के दौरान मलिक काफूर ने श्रीरंगम, मदुरै, चिदंबरम और रामेश्वरम जैसे कई हिन्दू केन्द्रो पर हमला किया था। इन हमलों का उद्देश्य लूट करना नहीं था बल्कि हिन्दू धर्म को चोट पहुंचाना था। बाबर के बारे में बताया गया है कि वो बेहद क्रूर और निर्दयी विजेता था जिसने कई शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम कर दिया था। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और कत्ल किए गए लोगों की खोपड़ियों की मीनार बनाने में उसे गर्व महसूस होता था।

इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण मैं कह सकता हूं कि सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा कड़वी है जो हमें ऊंची कक्षाओं में पढ़ने को मिलती है। विपक्ष कहना चाहता है कि जनता से सच को छुपाया जाए और झूठ के सहारे इस देश में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे को कायम रखा जाए। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास जैसा भी है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जर्मनी ने हिटलर के उत्पीड़न कैंपो की याद को जिंदा रखा है ताकि देश की जनता जान सके कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था। ऐसे ही सिख समाज गुरुद्वारों के जरिये याद रखता है कि उनके साथ इस्लामी शासकों ने क्या किया था। जलियांवाला बाग की यादों को सहेज कर रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया था। मोदी सरकार से पहले की सरकारों की सोच थी कि इतिहास के जरिये लोगों में सद्भावना पैदा की जाए लेकिन ऐसी कोशिश दुनिया में कहीं नहीं की जाती।

मुस्लिम आक्रांताओं के बर्बर हमले और उनके द्वारा करोड़ो लोगों की गई निर्मम हत्याओं का यह कहकर बचाव किया जाता है कि जब राजा जीतते थे तो युद्ध में लोग तो मारे ही जाते थे। जब हिन्दू राजा लड़ते थे तब भी हज़ारों लोग मारे जाते थे इसलिए इस्लामिक आक्रांताओं को कोसना कहाँ तक उचित है जबकि सच्चाई यह है कि भारत में किसी राजा ने आम जनता का नरसंहार कभी नहीं किया. जो कुछ होता था सिर्फ युद्ध के मैदान में होता था। युद्ध जीतने के बाद हिन्दू राजा हारने वाले राजा की जनता को अपनी जनता मानते थे। मुस्लिम आक्रांता आम जनता को भी दुश्मन मानते थे और बड़े-बड़े नरसंहार करते थे। चितौड़ में अकबर ने यही किया था लेकिन बाद में बंद कर दिया लेकिन दूसरे मुस्लिम आक्रांता ऐसे नरसंहार करते रहे इसलिए भारत के करोड़ों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी।

मेरा मानना है कि इतिहास जैसा भी है देश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों को पता चलना चाहिए। वो इसे कैसे लेते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। इतिहास को बदलना सही नहीं है और न ही छुपाना सही है लेकिन अपने नजरिये से प्रस्तुत करना गलत नहीं है। पिछली सरकार ने अपना नजरिया प्रस्तुत किया है अब नई सरकार अपना नजरिया प्रस्तुत कर रही है, इसमें गलत क्या है। अगर गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो विपक्ष को बताना चाहिए, बेमतलब के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार शिक्षा का न तो भगवाकरण कर रही है और न ही शुद्धिकरण कर रही है बल्कि अपने नजरिये से प्रस्तुत कर रही है। पिछली सरकार ने जो छुपाने का प्रयास किया सिर्फ उसे जनता के सामने रख रही है।

समस्त सीरवी समाज मित्र मंडल चिल्कानगर हैदराबाद तेलंगाना श्रावण सैर में श्रीनीधी रिसोट घटकेसर मे उपस्थित शेषाराम पंवार, राजुराम बर्फा, जगदीश पंवार, तेजाराम सानपुरा, महेन्द्र भाटी, बाबूलाल बर्फा, गौतम सेपटा, शेषाराम राठौड़, माधुराम सेपटा, घनश्याम बर्फा, फुआराम व महिला मंडल व अन्य

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर "सेनानी": चंद्रशेखर आजाद

प्रदीप कुमार वर्मा

"मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है"। महान स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर जब महज 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा। जज साहब यह सुनने के बाद भड़क गए और किशोर चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। बस, यही से उनका नाम "आजाद" पड़ गया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। आजादी की लड़ाई में अपने जीवन के अंतिम समय में भी जब वह अंग्रेजों से घिर गए, तब उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। मां भारती के ऐसे ही वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की आज जन्म जयंती है।

चंद्रशेखर आजाद का जन्म २३ जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता था। यहां पर आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। उनकी माता जगरानी देवी चाहती थी कि उनका पुत्र चंद्रशेखर संस्कृत का एक महान विद्वान बने। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता सीताराम तिवारी ने चंद्रशेखर को बनारस के काशी विद्यापीठ में अध्ययन के लिए भेज दिया। पंजाब में जलियांवाला बाग कांड के समय चन्द्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। महात्मा गांधी की अगुवाई में वर्ष 1921 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। तब महज 15 वर्षीय छात्र चंद्रशेखर एक बालक आंदोलनकारी के रूप में उसमें शामिल हो गए।

देशव्यापी असहयोग आंदोलन में सहभागिता करने के लिए २४ दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा-चोरी स्थान पर 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह की पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने भी हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के कारण तीन नागरिकों और २२ पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन में अहिंसक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे महात्मा गांधी इस घटना से नाराज हो गए और चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना से आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया ओर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना लिया। इसके बाद आज़ाद पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल योगेश चन्द्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए।

नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान रांची पहुंचे, कल लेंगे शपथ

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान मंगलवार को इंडिगो विमान से 11:55 बजे रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे. हाईकोर्ट के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की. इसके बाद वे होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हुए. यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 23 जुलाई की सुबह 10 बजे राजभवन में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. जस्टिस चौहान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनके रिश्तेदार रांची पहुंचने लगे हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को बधाई दी है. उन्होंने आशा जताई है कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के कार्यकाल में झारखंड की न्यायपालिका और सुदृढ़ होगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा.

31 जुलाई से 1 अगस्त तक राष्ट्रपति झारखंड में, मुख्यसचिव ने ली बैठक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक दो दिवसीय दौरे पर देवघर, रांची और धनबाद पहुंच रही हैं। इस दौरान देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। वहीं धनबाद में IIT आइआइटी (पूर्व मे ISM इंडियन स्कूल आफ माइन्स) के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हर छोटी-बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक-चौबंद कर लेने का निर्देश दिया। सावन माह में देवघर में श्रद्धालुओं के कांवरिया पथ को बिना बाधित किये राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए अलग मार्ग तय किया गया। बताते चलें कि इसके पहले 10-11 जून को राष्ट्रपति का झारखंड दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। उस समय तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उनके झारखंड प्रवास को यादगार बनाने पर बल दिया था। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक राष्ट्रपति के दो दिवसीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व के दौरे के दौरान दिये गये निर्देश इस बार भी यथावत रहेंगे। मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्था तय करते हुए उसकी जवाबदेही संबंधित विभागों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं अन्य व्यवस्था की निगरानी बतौर नोडल पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल और आईजी अखिलेश कुमार झा करेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की होगी। वहीं देवघर, धनबाद और रांची के उपायुक्तों ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराने का ब्लू प्रिंट साझा किया। इसी तरह समीक्षा के दौरान मंच व्यवस्था के प्रारूप, राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी को नामित करना, देवघर, धनबाद और रांची में आगवानी और विदाई के दौरान उपस्थित रहनेवाले महानुभावों की सूची, एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट और बुके की व्यवस्था, राष्ट्रीय गान की व्यवस्था, कारकेड की व्यवस्था, आउट राइडर्स की व्यवस्था, फोटोग्राफरों के लिए खुली जीप की व्यवस्था, बैगेज वैन एवं बैगेज कर्मी तथा छाता की व्यवस्था, देवघर एयरपोर्ट से एम्स तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था और मंच से संबोधित करनेवाले महानुभावों की सूची पर विस्तृत चर्चा के बाद जवाबदेही तय की गयी।

नक्सल प्रभावित सरायकेला में बारह केन बम बरामद, निष्क्रीय किया गया

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला, आजादी पूर्व दो संपन्न देशी रियासत सरायकेला-खरसावां संप्रति झारखंड का एक पिछड़ रहा जिला के रूप में जाना जाने वाला सरायकेला एवं खरसांवां के जंगली इलाके के दलभंगा ओपी क्षेत्र अंतर्गत नीमडीह गांव के पास पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एस पी लुनायत को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त सर्च अभियान में 1.5 किलोग्राम के 12 केन आईईडी बम बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की सहायता से सफलतापूर्वक निषक्रिय कर दिया गया

पुलिस अधीक्षक मुकेश लनायत को मिली गुप्त सूचना के अनुसार, नक्सलियों द्वारा वर्षों पहले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से ये गोलाबारूद इलाके में छुपा कर रखे गए थे। इस सूचना के आलोक में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, और एसएसबी-26 बटालियन की संयुक्त टीम गठित की गई। 22 जुलाई मंगलवार को संयुक्त बलों ने नीमडीह के आसपास जंगल व पहाड़ी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा पूर्व में डम्प किए गए केन बम बरामद किए गए। बरामद सभी 12 केन आई ईडी बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थल पर ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से निषक्रिय किया गया।

स्वराज्य का सूर्य: बाल गंगाधर तिलक के तेज से आलोकित भारत

जब भारत की आत्मा परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी थी, जब हर हृदय में भय और निराशा का अंधेरा छाया था, तब एक ऐसी पुकार गूँजी, जिसने न केवल भारत की धरती को झकझोरा, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा! — ये शब्द नहीं, एक क्रांति का शंखनाद था। यह आवाज थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा और भारत में आत्म-सम्मान व स्वतंत्रता की चेतना को प्रज्वलित किया। उनकी जयंती, 23 जुलाई, हमें उस युगपुरुष के जीवन और कर्म को स्मरण करने का अवसर देती है, जिसने भारत को गुलामी की नींद से जगाकर स्वतंत्रता का स्वप्न दिखाया।

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गाँव में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता, गंगाधर तिलक, एक संस्कृत विद्वान और शिक्षक थे, जिन्होंने बालक बाल में शिक्षा और संस्कारों का बीज बोया। 1877 में उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित और संस्कृत में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1879 में विधि की पढ़ाई पूरी की। किंतु तिलक ने वकालत को व्यवसाय न बनाकर राष्ट्र सेवा को चुना। उनके लिए शिक्षा केवल उपाधि नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान का मार्ग थी। इस दृष्टिकोण के साथ, 1880 में उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूंकर के साथ पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत फर्ग्युसन कॉलेज की नींव रखी गई, जो भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। इन संस्थानों ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि हजारों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया।

तिलक ने पत्रकारिता को जन-जागरण का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। 1881 में शुरू हुए उनके समाचारपत्र 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अंग्रेजी) ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य की हुंकार थे। 'केसरी', जिसका अर्थ है सिंह, वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत के लिए चुनौती बन गया। तिलक के लेखों ने ब्रिटिश नीतियों की कठोर आलोचना की और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनके लेख इतने प्रखर थे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'भारतीय अशांति का जनक' करार दिया। 1897 में उनके लेखों को राजद्रोह का आधार बनाकर उन्हें 18 महीने की सजा दी गई। फिर 1908 में 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख के लिए उन्हें छह वर्षों के लिए मांडले (बर्मा) जेल भेजा गया। किंतु जेल की दीवारें उनकी आत्मा को कैद न कर सकीं। वहाँ उन्होंने अपनी अमर कृति 'गीता रहस्य' लिखी, जिसमें भगवद्गीता के कर्मयोग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि कर्म ही जीवन का आधार है और राष्ट्रसेवा ही सच्चा धर्म। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक चिंतन, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना।

तिलक की राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुई, जहाँ वे गरम दल के प्रमुख नेता बने। 1885 में स्थापित कांग्रेस उस समय नरमपंथी विचारों से प्रभावित थी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले और दादाभाई नौरोजी जैसे नेता संवैधानिक सुधारों की वकालत करते थे। किंतु तिलक का विश्वास था कि स्वराज्य याचना से नहीं, संघर्ष से मिलेगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद स्पष्ट हुए, और तिलक ने स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बनाया। उनके इस दृष्टिकोण ने युवाओं में जोश भरा और उन्हें सक्रिय संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तिलक ने जनता को यह सिखाया कि गुलामी में सुधार नहीं, केवल स्वतंत्रता ही समाधान है।

1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में तिलक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की आत्मा बन गए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, विशेषकर वस्त्रों, के बहिष्कार का आह्वान किया और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया, जिसने हिंदुओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। इसी तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को महोत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की, जिसने भारतीयों में अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति गर्व की भावना जगाई। तिलक के लिए धर्म और संस्कृति केवल आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और स्वतंत्रता संग्राम के शक्तिशाली हथियार थे।

1916 में तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था स्वशासन की माँग को जन-जन तक पहुँचाना। यह आंदोलन, यद्यपि कांग्रेस से स्वतंत्र था, ने पूरे भारत में राजनीतिक जागरण की लहर फैला दी। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जनता ने उन्हें 'लोकमान्य' की उपाधि दी—वह जो जनता के हृदय में बस्ता हो। यह उपाधि केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उनके प्रति जनता के अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक थी। होम रूल आंदोलन ने न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण भारत को भी स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की एकता और दृढ़ संकल्प का भय सताने लगा। तिलक का दृष्टिकोण स्पष्ट था—स्वतंत्रता के बिना सामाजिक और आर्थिक सुधार अधूरे हैं। वे बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे, पर उनका मानना था कि जब तक भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक समाज का वास्तविक उत्थान असंभव है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को एकता का आधार बनाया और युवाओं को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी।

1 अगस्त 1920 को मुंबई में तिलक का निधन हुआ, किंतु उनके विचार और उनकी प्रेरणा आज भी अमर हैं। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा, "तिलक जैसा कोई और नहीं होगा।" वास्तव में, तिलक वह ज्योति थे, जिन्होंने भारत के आत्म-सम्मान को पुनर्जनन दिया। उनके प्रयासों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी है। तिलक केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक चिंतक, समाज सुधारक, शिक्षाविद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उनकी 'गीता रहस्य' जैसी कृति ने भारतीय दर्शन को नया आयाम दिया और यह सिखाया कि कर्म ही जीवन का आधार है।

आज, जब हम उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन का अवसर है। क्या हम उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उस स्वराज्य को जी रहे हैं, जिसकी कल्पना तिलक ने की थी—जहाँ हर नागरिक न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि शिक्षित, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से जागरूक भी हो? तिलक का जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जागरूकता, संगठन और त्याग की आवश्यकता है। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके विचारों को केवल इतिहास की किताबों में कैद नहीं होने देंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे।

तिलक का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो परतंत्रता की सबसे मजबूत दीवारें भी ढहाई जा सकती हैं। उनके विचार आज भी हमें यह स्मरण कराते हैं कि स्वराज्य केवल शासन का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता और नैतिक बल है। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे—एक भारत जो न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि समानता, न्याय और समृद्धि का प्रतीक हो। यही होगी उस युगपुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि, जिसने भारत को सिखाया कि स्वतंत्रता याचना नहीं, बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे पाने के लिए हमें सजग, संगठित और संकल्पबद्ध होना होगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023